



3

हिंदी दैनिक समाचार पत्र

— 7 | वर्ष — 8 | मूल्य — 3 रु

स्टारबक्स ने चेन्नई में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ डवन साइन किया, 800 नौकरियों के अवसर

में विश्वविद्यालयों की संख्या 400 से बढ़कर 1100 के पार पहुँच गई है। कभी हर तकनीक के लिए आयात पर निर्भर रहने वाला भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। रक्षा क्षेत्र में भारत आज ब्रह्मोस और मेक इन इंडिया के तहत 38 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। नितिन नवीन ने अमेरिका यात्रा का संस्मरण भी छात्रों से साझा किया। चैवजब बामकपज: म्ज्ठ ठौतंज

अमेरिका की हेल्थकेयर और फार्मसी सर्विस कंपनी वालग्रीन्स भारत में चेन्नई में अपना पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बना रही है। इसका प्लान पहले साल में 250 से ज्यादा उच्च-मूल्य वाली नौकरियां बनाना और आने वाले सालों में काम-काज

में दिया था। याचिका में कहा गया था कि जब सोनिया गांधी 1983 में भारतीय नागरिक बनीं तो 1980 में वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए कुछ फर्जी दस्तावेज दिए गए होंगे, जो कि एक संशय अपराध है। ऐसे में कोई सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले पर न तो सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया था और न ही दिल्ली पुलिस को।

चाहता है कि 2027 में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, इस पर कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ हाथ उठाकर संकल्प लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अंग्रेजों की बांटो और राज करो नीति को पहले कांग्रेस अपनाती थी और बाद में समाजवादीयों ने अपनाया, उन्होंने कहा कि पहले परिषदीय युगी में डर और अराजकता का माहौल हुआ करता था युगी में कानून के राज और विकास का दावा आज योगी जी के नेतृत्व में मरोशा और कानून का राज कायम हुआ है, यूपी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और 9 लाख लोगो, को नौकरी देकर सीएम योगी ने युवाओं की पिता की है, प्रदेश में 12 करोड़ रोजगार बनाए गए हैं यूपी को पहले बीमार राज्य माना जाता था और तब सरकारें माफिया चलाते

द्वारा लिया गया निर्णय केवल पार्टी सिंबल के इस्तेमाल से संबंधित है। आयोग ने अभी तक संपत्तियों या प्रॉपर्टी को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। सुनवाई के दौरान, राज्य के वकील राजदीप मजूमदार ने कहा, "चुनाव आयोग ने 17 सितंबर को तुणमूल कांग्रेस के सिंबल (चुनाव चिह्न) को प्रीज करने का आदेश दिया था। यह एक अंतरिम आदेश के रूप में जारी किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, किसी को भी इन बैंक खातों को संवालिज करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए" इसके जवाब में तुणमूल कांग्रेस के वकील शोए आलम ने तर्क दिया, "इसी बैंक ने 9 जुलाई को एक आदेश जारी किया था, जब उसे बाद में देश की सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। चुनाव आयोग ने उपचुनावों से पहले 17 सितंबर को ऑल इंडिया तुणमूल कांग्रेस को सिंबल को प्रीज किया है, लेकिन यह आयोग का अंतिम फैसला नहीं है। तुणमूल कांग्रेस न तो कोई सोसायटी है और न ही कोई को-ऑपरेटिव"

सीनियर सिविल जज और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की सेक्रेटरी श्रीमती ए. श्रीदेवी ने सुनने में अक्षम बच्चों के लिए सरकारी रेजिडेंशियल स्कूल में आयोजित कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया।



अमीर हुसैन, क्राइम ब्यूरो चीफ

हैदराबाद के मलकपेट में सुनने में अक्षम बच्चों के लिए सरकारी रेजिडेंशियल स्कूल में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (नई दिल्ली), सेशंस डिवाजन, नामपल्ली, हैदराबाद की देखरेख में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (सेशंस डिवाजन, नामपल्ली, हैदराबाद) की सेक्रेटरी श्रीमती ए. श्रीदेवी मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुईं और छात्रों को संबोधित किया। इस मौके पर, श्रीमती ए. श्रीदेवी ने छात्रों को कई विषयों के बारे में जानकारी दी, जिनमें भारतीय



संविधान में दिए गए

मौलिक अधिकार और कर्तव्य, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बच्चों के अधिकार, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए कानूनी सुरक्षा, और मुक्त कानूनी सहायता की उपलब्धता शामिल थी। उन्होंने समझाया कि विशेष जरूरतों वाले छात्रों को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, उन्हें किसी भी कानूनी समस्या का सामना करने पर संबंधित अधिकारियों को बताना चाहिए, और जरूरत पड़ने पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जरिए मुक्त कानूनी सहायता लेनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि डिस्ट्रिक्ट लीगल

सर्विसेज अथॉरिटी यह सुनिश्चित करने के लिए काम करती है कि कानूनी सेवाएँ सभी तक पहुँचें, खासकर योग्य लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह और मदद दी जाए। उन्होंने छात्रों के सवालों के जवाब दिए और उनकी शंकाओं को दूर किया। उन्होंने छात्रों को कानून के बारे में अपनी समझ बढ़ाने और अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने की सलाह दी। स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर, स्टाफ और छात्रों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मकसद छात्रों में कानूनी जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में समझ पैदा करना था।

निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जूनियर असिस्टेंट (एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन) श्री पालदा अशोक और आउटसोर्सिंग कर्मचारी (ऑडिट सेक्शन) श्री बालकुंटला किरण कुमार 18 की पकड़ में आए।

अमीर हुसैन, क्राइम ब्यूरो चीफ

सुबह लगभग 11:18 बजे, निजामाबाद रेंज के अधिकारियों ने निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ऑफिस के जूनियर असिस्टेंट (एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन) श्री पालदा अशोक (18-1) और आउटसोर्सिंग कर्मचारी (ऑडिट सेक्शन) श्री बालकुंटला किरण कुमार (18-2) को रंगे हाथों पकड़ा। उन्हें निजामाबाद शहर में राजा राजेन्द्र चौराहा के पास, सीतारामनगर कॉलोनी में पदमाशाली संगम पर पकड़ा गया, जब वे शिकायतकर्ता से उसकी माँ की सर्विस के लिए जरूरी एट्री करने, मंथली पेशन और इंफ्रीमेंट की कार्यवाही तैयार करने के बदले 15,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे थे और ले रहे थे। इस तरह, 18-2 ने 15,000 रुपये का अनुचित लाभ लिया और बेईमानी से अपने सरकारी कर्तव्यों का पालन किया। सुरक्षा कारणों से शिकायतकर्ता की



पहचान गुप्त रखी गई है।

इसलिए, 18-2 को गिरफ्तार कर लिया गया है और च - 182 को कोर्ट, नामपल्ली, हैदराबाद के माननीय ए. अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश के सामने पेश किया जा रहा है। फोन नंबर 1064 (टोल-फ्री नंबर) पर कॉल करें।

अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगता है, तो जनता से अनुरोध है कि वे कानून के अनुसार कार्रवाई के लिए टोल-फ्री नंबर 1064 पर संपर्क करें। 18 टोल-फ्री नंबर से (9440640100), थैमझुवा (जमसंदहद) (18) और 1 (जमसंदहद) (18) पर भी संपर्क किया जा सकता है। 18 टोल-फ्री नंबर से संपर्क करने के लिए सभी प्रमुख स्थानों पर 18 का फल पोस्ट लगाया गया है।

ए. ए.टी.-कंप्लेक्स ब्यूरो, हैदराबाद।

पोलियो, तलाक और आर्थिक तंगी को पछाड़कर, पैरा एथलीट शर्मिला ने खेल में पाई नई पहचान

नई दिल्ली: शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो के मैदान में जब 9.81 मीटर दूर गोला फेंका तो उनके हाथ सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं आए, बल्कि वर्षों से चले आ रहे संघर्ष को भी एक जवाब मिला, महिला शॉटपुट 9.87 वर्ग मीटर में भारत के लिए स्वर्ण जीतने वाली शर्मिला ने खेल की शुरुआत उस उम्र में की थी, जब ज्यादातर खिलाड़ी अपने करियर का लंबा साफर तय कर चुके होते हैं।

शर्मिला धनखड़ ने 34 साल की उम्र में खेल शुरू किया और महज छह साल में कॉमनवेल्थ चैंपियन बन गईं, लेकिन इस गोल्ड तक पहुँचने की कहानी मैदान से कहीं ज्यादा बड़ी है, दो साल की उम्र में पोलियो, आर्थिक तंगी, 19 साल की उम्र में शादी और फिर तलाक, जिंदगी ने कई बार रास्ता रोका, हर बार शर्मिला ने खुद को संभाला और आगे बढ़ती रहीं, अब उनके सामने अगला सपना ओलंपिक गोल्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड का है। शर्मिला धनखड़ ने ईटीवी भारत को बताया अपनी सफलता की कहानी (म्यूट टैलेंट्स) 'हार नहीं मानी, अमी और मेडल लेने हैं' शर्मिला धनखड़ ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि जिंदगी में मुश्किलें बहुत आईं, लेकिन कभी खुद को खत्म मानकर बैठना नहीं सीखा, ग्लासगो का गोल्ड मैजिल नहीं है, अभी आगे भी खेलना है और देश के लिए और मेडल जीतना है, उन्होंने बताया कि सपना अब और बड़ा है, ओलंपिकों में गोल्ड जीतने के साथ ही को, शिवा विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी है।

दो साल की उम्र में पोलियो ने बदली जिंदगी शर्मिला की कहानी की शुरुआत ही संघर्ष से हुई है, उन्होंने बताया कि वह दो साल की थीं तब पोलियो हो गया था, बचपन आसान नहीं था, परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और उनकी माँ देख नहीं सकती थीं, उन्होंने बताया कि पड़ाई



भी 10वीं तक ही हो पाई, लेकिन इन परिस्थितियों ने आगे बढ़ने की जिद खत्म नहीं की, जिंदगी के हर पड़ाव पर कुछ न कुछ नया संघर्ष करना पड़ा, शर्मिला धनखड़ का ऐतिहासिक प्रदर्शन शर्मिला धनखड़ का ऐतिहासिक प्रदर्शन (म्यूट टैलेंट्स) 19 साल की उम्र में शादी, फिर टूट गया रिश्ता

महज 19 साल की उम्र में शर्मिला की शादी हो गई, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका, उन्हें तलाक के बाद अपनी जिंदगी को फिर से संभालना पड़ा, उन्होंने बताया कि यह जीवन का ऐसा दौर था, जब एक साथ कई जिम्मेदारियाँ सामने थीं, परिवार, बच्चों और आर्थिक परेशानियों के बीच खुद को संभाला और आगे बढ़ती रहीं, मेरे बच्चों को भी अपनाया, मुझे भी अपनाया शर्मिला की जिंदगी में बाद में एक ऐसे जीवन साथी आए,

उन्होंने उन्हें आगे बढ़ने का हाँसला दिया, शर्मिला ने बताया कि दूसरे पति ने ना सिर्फ उन्हें स्वीकार किया, बल्कि दोनों बच्चों को भी अपनाया, उन्होंने बताया कि खेल शुरू करने के फैसले में भी परिवार का साथ मिला, यही वजह रही कि जिम्मेदारियों के बीच अपने खेल को समय दे सकीं, 34 साल की उम्र में शुरू किया खेलसाल 2020 में जब शर्मिला ने खेल शुरू किया, तब उनकी उम्र 34 साल थी, उनके पास बचपन से खेल का लंबा अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने अभ्यास शुरू किया और धीरे-धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू की, शर्मिला ने बताया कि छह साल का वह सफर आसान नहीं था, ट्रेनिंग, परिवार की जिम्मेदारियाँ और आर्थिक परेशानियाँ साथ-साथ चलती रहीं, लेकिन हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने पर ध्यान दिया, शर्मिला धनखड़ की उपलब्धियाँ खेल के लिए पैतृक जमीन तक बेचना पड़ा शर्मिला के लिए खेल सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं था, इसके लिए उन्हें आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, उन्होंने बताया कि मुश्किल दौर में जमीन तक बेचना पड़ा और खुद भी काम करना पड़ा, ऐसे समय में खेल छोड़ देना आसान रास्ता हो सकता था, लेकिन खेल को नहीं छोड़ा, यही लगातार मेहनत आखिरकार ग्लासगो के उस मैदान तक लेकर गई, जहाँ उन्होंने देश के लिए गोल्ड जीता, 2022 में बीथे स्थान ने बदल दिया

क्या बिहार बन रहा 'उड़ता पंजाब'? छब्ब की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा!



नई दिल्ली: भारत में बढ़ते ड्रग्स (नशीले पदार्थों) के नेटवर्क में बिहार एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट और कनेक्टिविटी कॉरिडोर के रूप में उभर रहा है, जानकारों की मानें तो जिस तरह कभी पंजाब ड्रग्स तस्करी का मुख्य केंद्र बन गया था, ठीक वैसे ही अब भारत के इस बढ़ते ड्रग्स नेटवर्क में बिहार एक बड़ा ट्रांजिट और कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनकर उभर रहा है, एनसीबी (छब्ब) द्वारा तैयार की गई एक आंतरिक रिपोर्ट में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है, बिहार क्यों एक ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में उभर रहा नशीले पदार्थों के नेटवर्क में बिहार का महत्व इसकी भौगोलिक स्थिति और व्यापक सड़क व रेल कनेक्टिविटी से से जुड़ा हुआ है, यह राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ सीमाएं साझा करता है, इसके अलावा उत्तरी, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्गों पर स्थित है, एनसीबी के पूर्व ड्रिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय कुमार सिंह ने सोमवार को ईटीवी भारत से कहा, "बढ़ा की भौगोलिक स्थिति तस्करी नेटवर्क को स्रोत क्षेत्रों (जहां ड्रग्स बनती है) और गंतव्य बाजारों (जहां ड्रग्स बेची जाती है) के बीच कड़ी के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देती है, पूर्वी भारत में प्रवेश करने वाले या वहां से गुजरने वाले नशीले पदार्थों को कई राज्यों के माध्यम से ले जाया जा सकता है, जिसमें बिहार संभावित रूप से एक कनेक्टिंग पॉइंट के रूप में काम करता है, जिसके बाद यह खेप देश के अन्य हिस्सों की ओर बढ़ती है, उत्तर प्रदेश के साथ बिहार का संपर्क इसे उत्तर भारत के बड़े बाजार तक पहुंच प्रदान करता है, जबकि, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ाव बिहार को पूर्वी और पूर्वोत्तर मार्गों से जोड़ता है, राज्य का सड़क और रेलवे नेटवर्क तस्करी को परिवहन के विभिन्न साधनों के माध्यम से और कई राज्यों के अधिकार क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की खेप ले जाने में सक्षम बनाता है, बरामदगी के आंकड़े गंभीरता को रेखांकित करते हैं, संजय कुमार सिंह के अनुसार, बिहार-नेपाल सीमा हमेशा से नशीले पदार्थों, विशेष रूप से नेपाल से आने वाली वशीश और चरस के लिए एक प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट रही है, सिंह ने कहा, "नेपाल और म्यांमार से आने वाली ड्रग्स बिहार से होते हुए देश के अन्य हिस्सों में जाती हैं," बिहार में साल 2025 में 49,964 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स जब्त की गई थी, एनसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि केवल ड्रग्स की बरामदगी से ही लगातार बदल रहे तस्करी नेटवर्क की पूरी तस्वीर सामने नहीं आ सकती, एजेंसियों को यह पता लगाने की जरूरत है कि ड्रग्स कहाँ से आई, इसमें शामिल बिघीलियों की पहचान करनी होगी, उनके आने-जाने के रास्ते को ट्रैक करना होगा और इस खेप की आखिरी मंजिल तय करनी होगी, छब्ब के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "इसलिए, अब ध्यान व्यक्तिगत करियर और इस्का-दुस्का बरामदगी से हटकर तेजी से उनके पीछे काम करने वाले बड़े सिंडिकेट की तरफ जा रहा है," एनसीबी ने अन्य ड्रग-कानून प्रवर्तन एजेंसियों से खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था को मजबूत करने और ऐसे मामलों पर मिलकर काम करने को कहा है जो राज्यों और राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं, एनसीबी की इस बैठक में ड्रग तस्करी के खिलाफ लड़ने वाली कई एजेंसियाँ एक साथ आईं, जिनमें एनआईए (एनआई), प्रवर्तन निदेशालय (नब), राजस्व खुफिया निदेशालय (कर), सीमा शुल्क (नजदर), आयकर विभाग (पबवतुंग), बीएसएफ (टैर), आरपीएफ (लब), सीआईएसएफ (बैब), राज्य एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स, राज्य ड्रग कंट्रोलर और खुफिया एजेंसियाँ शामिल थीं।

चसंपदमत: क्यों अपनी ही पार्टी के नीरज कुमार को हराना चाहते हैं अनंत सिंह? 11 साल के अदावत की इनसाइड स्टोरी समझिए



पटना : बिहार विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की आठ सीटों पर चुनाव होना है, कई सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने फिलहाल आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है, इसके बावजूद, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, यहां जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के दो दिग्गज नेताओं के बयानों ने सियासी सरगमी बढ़ा दी है, पुराने साथियों में अदावत जदयू नेता नीरज कुमार चौधरी बार पटना स्नातक क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, दूसरी तरफ, मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह ने पार्टी में रहते हुए भी एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी का खुलकर समर्थन कर दिया है, वे सार्वजनिक नवों से नीरज कुमार को हराने का दावा कर रहे हैं, दोनों नेताओं के बीच यह अदावत कई वर्षों पुरानी है, अब चुनावी बहस में एके-47 से लेकर लालू प्रसाद तक का जिक्र होने लगा है, 18-47 का गंभीर आरोपविधायक अनंत सिंह ने आरोप लगाया कि नीरज कुमार की वजह से ही उन्हें पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाना पड़ा था, उन्होंने दावा किया कि उनके घर से जो एके-47 बरामद हुई थी, वह नीरज कुमार द्वारा ही फ्लांट कराई गई थी, इसी साजिश के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था, हालांकि, नीरज कुमार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कोर्ट में सबूत पेश करने की चुनौती दी है, बदले की सियासी लड़ाई राजनीतिक विरोधों का मानना है कि अतीत में नीरज कुमार ने भी कई मौकों पर अनंत सिंह का कड़ा विरोध किया था, अब अनंत सिंह उसी का पुराना बदला ले रहे हैं, हालांकि, जानकारों का कहना है कि वे अपनी ही पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को खिलाफ बहुरा आगे तक नहीं जा सकेंगे, बहरहाल, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चुनावी जंग ने सूबे के राजनीतिक गलियारे में भारी हलचल पैदा कर दी है, वोटों का पुराना गणित दोनों नेताओं के बीच का यह विवाद करीब डेढ़ दशक पुराना है, जो साल 2015 के बाद से और ज्यादा बढ़ गया, इससे पहले वर्ष 2005 और 2010 के चुनावों में नीरज कुमार ने अनंत सिंह के लिए प्रचार किया था, लेकिन 2015 में सगीकरण बदले और अनंत सिंह बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े, उस समय जेल में रहते हुए भी उन्होंने नीरज कुमार को 18,348 वोटों के अंतर से करारी शिकस्त दी थी, महावीर मंदिर में डिवेट या चौलेंज अनंत सिंह का दावा है कि नीरज कुमार ने उन्हें हराने की धार बार कोशिश की, लेकिन जनता के समर्थन के कारण

की नई एडवाइजरी, राज्यों को मानव तस्करी विरोधी अभियान तेज करने का निर्देश

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (DH) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों (कल) से मानव तस्करी से निपटने के लिए अधिक तालमेल वाला और तकनीक पर आधारित तरीका अपनाने को कहा है। साथ ही, इस बात पर जोर दिया है कि नए आपराधिक कानून का प्रभाव काफी हद तक जमीनी स्तर पर उनके लागू होने पर निर्भर करेगा। मानव तस्करी का मुकामला करने पर जारी एडवाइजरी में, गृह मंत्रालय ने एंटी-ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट्स (एन्यू) को मजबूत करने, पीड़ितों की पहचान में सुधार करने और तस्करी नेटवर्क को टूट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के अलावा, भारतीय न्याय संहिता (उछ), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (उछ), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (डै) के अधिक उपयोग का आह्वान किया है। मंत्रालय ने हाल ही में जारी अपनी एडवाइजरी में, जांच अधिकारियों से विशेष रूप से उछ की धारा 111 की प्रासंगिकता की जांच करने के लिए कहा है, जो संगठित अपराध से संबंधित है और इसके दायरे में मानव तस्करी भी शामिल है। यह प्रावधान संगठित अपराध के लिए वैधानिक शर्तों को पूरा करने पर तस्करी से जुड़ी गैरकानूनी गतिविधि जारी रखने पर लागू हो सकता है। एडवाइजरी में बच्चों और एक से अधिक पीड़ितों से जुड़े मामला सहित मानव तस्करी के मामलों में उछ की धारा 143 और 144 को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया गया है। धारा 143 के तहत, धमकी, बल, जबरदस्ती, अपहरण, धोखाधड़ी, छल, सत्ता के दुरुपयोग या प्रलोभन जैसे तरीकों का उपयोग करके शोषण के वास्ते किसी व्यक्ति की भर्ती करने, उसे ले जाने, छिपाने, स्थानांतरित करने या प्राप्त करने को मानव तस्करी के रूप में परिभाषित किया गया है। इस कानून में बच्चों या एक से अधिक बच्चों की तस्करी किए जाने पर कठोर दंड का प्रावधान है।



गृह मंत्रालय ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे अपना ध्यान निचले स्तर के अपराधियों से आगे बढ़ाकर जांच पर केंद्रित करें और मानव तस्करी नेटवर्क के फाइनेंसर (वित्तपोषक), ऑर्गनाइजर (संचालक) और अन्य सदस्यों की पहचान करें। साथ ही, मंत्रालय ने ऐसे आपराधिक अभियानों से जुड़ी संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें जब्त करने पर भी जोर दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एडवाइजरी में डिजिटल साक्ष्यों को केंद्रीय भूमिका दी गई है। जांचकर्ताओं को एन्क्रिप्टेड चैट, वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड, भौगोलिक स्थिति की जानकारी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित करने के लिए कहा गया है। गृह मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से जुड़े हैं। के प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला है और पुलिस बलों से ऐसे सबूतों को इकट्ठा करने और उन्हें सुरक्षित रखने की अपनी क्षमता को मजबूत करने के लिए कहा है। एडवाइजरी में कहा गया है, "एन्क्रिप्टेड चैट, वित्तीय लेनदेन और जियोलोकेशन डेटा सहित डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का उपयोग किया जाना चाहिए।"

एडवाइजरी में तलाशी और छापेमारी के दौरान तकनीक के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है। यह उछ के तहत तलाशी और जब्त की अभियानों की अनिवार्य रूप से ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग करने की मांग करता है और दबाव तथा छापेमारी के अभियानों के दौरान फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने पर जोर देता है। डै। ने राज्यों को मानव तस्करी विरोधी इकाइयों (एन्यू) को मजबूत करने का भी निर्देश दिया है, जिन्हें निर्भया फंड के तहत वित्तीय सहायता मिली है। राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इन इकाइयों में पर्याप्त कर्मचारी हों, वे विशेषज्ञता प्राप्त हों और सिर्फ औपचारिक डंडे के रूप में काम करने के बजाय फील्ड ऑपरेशंस में सक्रिय रूप से शामिल हों।

एजेंसियों के बीच समन्वय का आह्वान लेकर ट्रेफिकिंग के लिए, इस एडवाइजरी में मानव तस्करी विरोधी इकाइयों (एन्यू), पुलिस, अम विभागों और अन्य एजेंसियों के बीच औपचारिक समन्वय का आह्वान किया गया है। विशेष रूप से ईट भद्रों, पत्थर खदानों, कपड़ा और घरेलू काम जैसे क्षेत्रों में, राज्यों को तस्करी के मामलों के लिए विशेष सरकारी वकीलों को नामित करने और विशेष अदालतों में मुकदमों को प्राथमिकता देने के लिए उच्च न्यायालयों के साथ समन्वय करने की भी सलाह दी गई है। गृह मंत्रालय ने पीड़ितों की पहचान करने के व्यापक प्रोटोकॉल बनाने का आह्वान किया है, जिसमें विशेष रूप से उन पुरुषों और लड़कों पर ध्यान देने की बात कही गई है जिन्हें मजदूरी कराने के लिए तस्करी का शिकार बनाया जा सकता है। पुलिस और अम अधिकारियों को उच्च

इस्तीफा देकर उपचुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से मुआवजा वसूलने का आद. 'श नहीं दिया जा सकता: हाई कोर्ट

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह भारत निर्वाचन आयोग (भ्य) को उन उम्मीदवारों से मुआवजा वसूलने का आदेश नहीं दे सकता जो इस्तीफा देकर दोबारा उपचुनाव लड़ते हैं। अप्रैल में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद मद्रास हाई कोर्ट (डिपेंडेंट जज), तारापुरम, अम्बासमुद्रम (उईउनकतं), पेरुदुरई (धननदकनतं), करूर और विरालीमलाई (टपतंसपउंसं) निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए छह एडवाइजरी विधायकों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और जज में शामिल हो गए। हाई कोर्ट ने अम्बासमुद्रम, पेरुदुरई, करूर, विरालिमलाई और त्रिची पूर्व सीटों पर उपचुनाव की घोषणा पर रोक लगा दी है, जहां चुनाव मामले लंबित हैं। जबकि चुनाव आयोग ने मद्रास हाई कोर्ट निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। चेन्नई के सैदापेट के वकील सुधन ने मद्रास हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें चुनाव आयोग को यह आदेश देने की मांग की गई है कि वह उम्मीदवारों द्वारा उपचुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय चुनाव खर्च जमा करने की एक उचित प्रक्रिया तैयार करे। याचिका में कहा गया है कि जहां विधायकों के अपने राजनीतिक कारणों से इस्तीफा देने के कारण सरकारी खर्च पर उपचुनाव कराने पड़ते हैं, वहां उन्हें इन खर्चों के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए उचित प्रक्रियाएं तैयार की जानी चाहिए। इसके अलावा, याचिका में यह अनुरोध किया गया है कि एक ऐसा कानून बनाने के लिए अध्ययन किया जाए जो उन लोगों को चुनाव नतीजों की घोषणा के कुछ ही समय बाद राजनीतिक कारणों से अपने पद से इस्तीफा देने और जनता के जनादेश की उपेक्षा करने पर, एक निश्चित अवधि के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर सके। याचिका में अनुरोध किया गया है कि मामला सुलझने तक मद्रास हाई कोर्ट और तारापुरम निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनावों पर रोक लगाई जाए और चुनाव आयोग को पूर्व विधायकों मरागाथम कुमारवेल (इंतंईज्जी इनउत्तमस) और सत्यभामा (जोपलईउ) के नामांकन पत्र स्वीकार करने से रोका जाए, जिन्हें इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसी तरह, याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि चुनाव आयोग को त्रिची पूर्व, करूर, विरालिमलाई, पेरुदुरई, अम्बासमुद्रम, मद्रास हाई कोर्ट और तारापुरम निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव कराने में हुए खर्च पर एक रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया जाए। यह मामला चीफ जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुगुन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिका सिंगरावेलन ने कहा, "उम्मीदवारों ने लोगों के जनादेश को खारिज कर दिया और दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इसलिए, मरागाथम कुमारवेल और सत्यभामा दोनों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। एक पार्टी से चुने जाना और फिर उसे छोड़कर दूसरी पार्टी में चुनाव लड़ना दल-बदल कानून से बचना है।" चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने कहा, "याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है। लोकतांत्रिक तरीके से इस्तीफा देने वाले किसी सदस्य के दोबारा चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है।" कोर्ट ने कहा, "इस मामले में किस आधार पर आदेश जारी किया जा सकता है? इस्तीफा देने और फिर से चुनाव लड़ने वालों से मुआवजा वसूलने का अभी तक कोई कानून नहीं है। किसी भी कानून के अभाव में, अदालत मुआवजा वसूलने का आदेश कैसे जारी कर सकती है? अदालत कानून नहीं बना सकती। अदालत सिर्फ दस्तावेजों के आधार पर ही यह जांच कर सकती है कि क्या सही है और क्या गलत।" पीठ ने कहा, "चुनाव आयोग को उम्मीदवारों से चुनाव खर्च वसूलने और उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने का आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट चुनाव आयोग को उम्मीदवारों से चुनाव खर्च वसूलने के लिए कानून बनाने का आदेश कैसे दे सकता है?"

उमर खालिद डॉक्यूमेंट्री विवाद : आईआईआईटी हैदराबाद ने छात्रों को अनुशासनात्मक चेतावनी जारी की

हैदराबाद : इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी-हैदराबाद (आईआईआईटी-एच) ने आठ छात्रों को "अनुशासनात्मक चेतावनी" जारी की है। ये छात्र एक स्वतंत्र कैंपस प्लेटफॉर्म से जुड़े थे, जो जाति, मेरिट और राजनीति पर बातचीत शुरू करना चाहता था। इंस्टीट्यूट का कहना है कि इस ग्रुप को इंस्टीट्यूट से मंजूरी नहीं मिली थी। ये अंडरग्रेजुएट छात्र 'नो टायरेट्स, नो साइलेंस' (एनटीएनएस) नाम के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। इस प्लेटफॉर्म ने 18 सितंबर को कैंपस में जेल में बंद एक्टिविस्ट उमर खालिद पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने आपत्ति जताई थी। बाद में स्क्रीनिंग रद्द कर दी गई। इस ग्रुप ने कैंपस में फैसले लेने की प्रक्रिया, जाति और राजनीतिक भागीदारी पर चर्चा की है और टेक्नोलॉजी संस्थानों के छात्रों के बीच राजनीति से दूरी की बात पर सवाल उठाए हैं। आईआईआईटी-हैदराबाद के रेजिस्ट्रार प्रो. के.एस. राजन के हस्ताक्षर वाला "तुरंत पालन करने का नोटिस और अनुशासनात्मक चेतावनी" 18 सितंबर को जारी किया गया था। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया के लिए प्रो. राजन को किए गए कॉल और मैसेज का कोई जवाब नहीं मिला। एक नोटिस में छात्रों पर एनटीएनएस के तहत "बिना मंजूरी वाले सोशल मीडिया हैंडल, ऑनलाइन पेज और वेबसाइट" चलाने का आरोप लगाया गया, जिनमें आईआईआईटी-हैदराबाद का नाम प्रमुखता से इस्तेमाल किया गया था। उन पर आंतरिक बैठकों की जानकारी (मिनट्स) प्रकाशित करने का भी आरोप लगाया गया, जिसके बारे में इंस्टीट्यूट का कहना था कि वे "पूरी तरह गोपनीय थी और केवल आंतरिक कामकाज के लिए थीं।" इंस्टीट्यूट ने कहा कि एनटीएनएस "आईआईआईटी-हैदराबाद के तहत कोई मंजूर या मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है।" नोटिस में कहा गया, "इंस्टीट्यूट के नाम और ब्रांड का बिना मंजूरी के इस्तेमाल और गोपनीय आंतरिक बैठक की जानकारी प्रकाशित करना इंस्टीट्यूट की नीतियों, छात्रों के आचरण और गोपनीयता संबंधी दिशानिर्देशों का गंभीर उल्लंघन है।" छात्रों को उन सोशल मीडिया हैंडल, वेबसाइट और अन्य कंटेंट को हटाने के लिए चार घंटे का समय दिया गया, जिनमें आईआईआईटी-हैदराबाद का जिक्र था या आतंरिक बैठक की जानकारी कथित तौर पर प्रकाशित की गई थी। नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि अगर 18 सितंबर को रात 8:30 बजे तक नियमों का पालन नहीं किया गया, तो "अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत शुरू" कर दी जाएगी और यह भी कहा गया कि इस कार्रवाई में "संस्थान से निष्कासन" तक की बात शामिल हो सकती है। पता चला है कि कुछ छात्रों

दिल्ली में 33 लाख के करीब मतदाताओं को नोटिस, कई टॉप भी शामिल, जानिए टॉप-10 कारण

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (रै) अभियान के तहत इन दिनों प्रशासनिक गलतियों से लेकर आम नागरिकों के बीच हड़कप मचा हुआ है। चुनाव आयोग की ओर से 31 अगस्त को जारी किए गए ब्रुएट वोटर लिस्ट के बाद, डेटा में पाई गई विसंगतियों और तकनीकी कमियों को दूर करने के लिए घड़घड़ नोटिस भेजे जा रहे हैं। अब तक लगभग 33 लाख (32,27,443) मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिसमें देश के कई दिग्गज राजनेता, पूर्व वीवीआईपी और शीर्ष अधिकारी भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों और मीडेट एनालिटिक्स एड कंसल्टिंग के विश्लेषण के अनुसार, अधिकांश मतदाताओं को केवल एक ही कारण से नोटिस मिला है, जबकि कुछ मामलों में दो या उससे अधिक विसंगतियां भी दर्ज की गई हैं। आइए जानते हैं ये टॉप-10 कारण जिनके आधार पर सबसे ज्यादा लोगों को नोटिस भेजा गया है।

अशोक कुमार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली (मज्ज टीतज) क्यों भेजे गए मतदाताओं को नोटिस, टॉप-10 कारण डेटा के अनुसार उन 10 प्रमुख वजहों की सूची नीचे दी गई है, जिनके कारण दिल्ली के मतदाताओं को सबसे अधिक नोटिस मिले हैं। पिछले एसआईआर से मैपिंग न होना: यह सूची में सबसे बड़ा कारण है। कुल 13,40,213 यानी 41.51 फीसदी मामले इसी श्रेणी से जुड़े हैं। इसमें पूर्व उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, चुनाव आयुक्त एसएस संधू, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कई वरिष्ठ नीकरशाहों के नाम शामिल हैं, जिनके मौजूदा रिकॉर्ड पिछले एसआईआर डेटा से नहीं जुड़ पाए।

माता-पिता के नाम में अंतर: दूसरे नंबर पर यह बड़ी वजह है, जिसके तहत 7,65,112 लगभग 23.71 फीसदी नोटिस भेजे गए हैं। इसमें फॉर्म में भरे गए माता-पिता के नाम और पुराने डेटाबेस के नाम में भिन्नता पाई गई है। रवय के नाम में अंतर: मतदाता के अपने नाम की स्पेलिंग या सरनेम में अंतर के चलते 5,44,504 (16.88 फीसदी) लोगों को नोटिस का सामना करना पड़ा है।

संतान की आयु का 9 गहीने से कम अंतर: तार्किक विसंगतियों के तहत 2,08,697 (6.47 फीसदी) मामलों में माता-पिता और बच्चों की उम्र के बीच का अंतर 9 गहीने से कम दर्ज पाया गया है।

माता-पिता की आयु का अंतर 15 वर्ष से कम: इस तकनीकी गड़बड़ी के कारण 1,60,795 (4.98



फीसदी) नोटिस जारी किए गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी इस कारण ही आयोग ने नोटिस भेजा था।

6 या उससे अधिक संतानें: रिकॉर्ड के मुताबिक 1,37,492 (4.26 फीसदी) मामलों में बच्चों की संख्या 6 या उससे अधिक दर्ज होने पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

माता-पिता की आयु का अंतर 50 वर्ष से अधिक: उम्र के इस असंतुलन के चलते 80,626 (2.50 फीसदी) मतदाताओं के फॉर्म होल्ड पर रखे गए हैं। दादा-दादीजाना-नानी की आयु का अंतर 40 वर्ष से कम पीढ़ियों के अंतराल से जुड़े इस अंतर के कारण 72,581 (2.25 फीसदी) नोटिस गए हैं।

कारण दर्ज नहीं: कई ऐसे तकनीकी मामले भी सामने आए हैं जहां सिस्टम ने नोटिस तो भेज दिया लेकिन उसकी ठोस वजह रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाई। ऐसे मामलों की संख्या 58,163 (1.80 फीसदी) है। पिछले एसआईआर में माता-पिता का अयोग्य होना: यह सबसे कम यानी सिर्फ 178 (0.01 फीसदी) मामलों में देखने को मिला, जहां पिछली प्रक्रिया में माता-पिता को अयोग्य पाया गया था।

घबराए नहीं, नोटिस मिलने का मतलब नाम काटना नहीं हालांकि इन नोटिस को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने कहा है कि इतने बड़े पैमाने पर नोटिस मिलने का यह कदाई मतलब नहीं है कि संबंधित मतदाता का नाम सूची से काट दिया गया है। यह केवल डेटा सुधार और ईसिनेट (मध्यम) प्रणाली को दुरुस्त करने की एक प्रक्रिया है। अगर आपको या आपके परिवार को भी नोटिस प्रक्रिया के तहत ऐसा कोई नोटिस मिला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर या निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (न्यू) के पास जाकर आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य जमा करवाएं, ताकि आपकी प्रविष्टि को अंतिम सूची

में वैध किया जा सके। नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन की सहसंयोजक अंजलि भारद्वाज ने कहा कि, इलेक्शन कमीशन ने 33 लाख लोगों को और नोटिस जारी किए हैं कि आप अगर भूल नहीं कर पाते कि आप सिटीजन हैं, तो आपका नाम भी डिलीट कर दिया जाएगा। मतलब 90 लाख से ज्यादा पोटेंशियल डिलीशन हो सकती है, एसआईआर और प्री-एसआईआर फेस के अंदर।

33 लाख लोगों को नोटिस

उन्होंने कहा, तो बड़ा सवाल तो यही उठता है कि 2025 में फरवरी में जो चुनाव हुए, उसके जो नतीजे आए उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती, रेखा गुप्ता चीफ मिनिसटर बनीं। तो क्या उन चुनावों के नतीजों पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट इतनी खराब थी तो फिर किसने वोट किया, किसने चुनाव और उन नतीजों को कैसे हम विश्वसनीय देखें। दूसरी बात यह है कि जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए, कहा कि कुछ लॉजिकल डिस्कपेंसीज हैं, कुछ अनमैड लोग हैं जिन्हें कि अब अपने दस्तावेज दिखाने होंगे अब लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं ऐसे लोग जो कि वोटर लिस्ट में पहले फेज के बाद आ गए थे, करीब 1 करोड़ लोगों में से 33 लाख लोगों को नोटिस भेजे गए पारदर्शिता के बिना काम नहीं होना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा, इलेक्शन कमीशन ने न लिस्ट मुहैया कराई और न ही कारण बताया कि नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं। दिल्ली की जनता को यह मालूम ही नहीं पड़ रहा कि अगर उनका नाम फर्स्ट लिस्ट में आ गया वोटर लिस्ट में तो क्या वह निश्चित होकर बैठ जाए कि उन्हें नोटिस आ सकता है, एक याचिका हम लोग ने दायर की सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया कि पारदर्शिता के बिना यह काम नहीं होना चाहिए, वोटर लिस्ट को पब्लिक डोमेन में डाला जाना चाहिए, साथ ही लॉजिकल डिस्कपेंसीज कितने कहा जा रहा है, वह क्राइटेरिया भी बताने की जरूरत है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी भेजा गया नोटिस मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी भेजा गया नोटिस (मज्ज टीतज) सीएम पी घरे में कोर्ट ने कहा कि यह जरूरी मुद्दे हैं, इन्हें प्रेसीडेंट दिया जाएगा और मंगलवार को सुनवाई के लिए रखा, कोर्ट में केस के बाद इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट मुहैया कराई और जब लिस्ट सामने आई तो चौकाने वाली जानकारी मिली। यह पता चला कि दिल्ली की



फब्ब लेकर आया तीन ज्योतिर्लिंग और शिर्डी दर्शन का पैकेज, जानिए कैसे कराएं बुकिंग

लाभ की राह पर एपीएमईएल



हैदराबाद, 21 सितंबर सिंगरेनी की सहायक संस्था एपीएमईएल ने पिछले तीन वर्षों में ₹34.20 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। 2025-26 में ही संस्था ने रिकॉर्ड ₹23.33 करोड़ का लाभ दर्ज



किया। कमी बंद होने की कगार पर रही यह संस्था अब सिंगरेनी प्रबंधन और राज्य सरकार के प्रोत्साहन से राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ रही है। एपीएमईएल, एचईएल, जेनको, एनएमडीसी

और आरआईएनएल जैसी संस्थाओं को मशीनें और कलपुर्जे सप्लाई कर रही है। बिजली खर्च घटाने के लिए 300 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया जा, जिससे हर महीने करीब 12 लाख की बचत होगी।

17 और आधुनिक उपकरणों से इलाज कराना होगा अब और सेफ! केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

मकपबंस कमअपबम मिजल इनपकमसपदमे सरकार ने दवाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए छह का 7वां संस्करण, बायोविजिलेंस प्रोग्राम लॉन्च 10 ड्रग्स लीवबेक म्यूट ऑनजनई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अस्पतालों में मेडिकल डिवाइस की सुरक्षा की निगरानी के लिए व्यवस्थित और सक्रिय सिस्टम बनाने को कहा है। इसके लिए जारी नए गाइडेंस डॉक्यूमेंट में हेल्थकेयर सेंटर्स से कहा गया है कि वे जरूरी डिवाइस की नियमित रूप से निगरानी करें, हर विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त करें और किसी भी घटना, खराबी, बाल-बाल बचे हाद, सों या बुरे असर की तुरंत रिपोर्ट करें। सोमवार को नई दिल्ली में 'भारत में अस्पतालों के लिए मेडिकल डिवाइस से जुड़ी घटनाओं/बुरे असर की सुरक्षा निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए गाइडेंस डॉक्यूमेंट- मैटेरियोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया (डवच), 2026' जारी किया गया, इसका मकसद मेडिकल टेक्नोलॉजी (जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर से चलने वाले डिवाइस भी शामिल हैं) के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के बीच मेडिकल डिवाइस की पोस्ट-मार्केट निगरानी को मजबूत करना है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन (फ्व) ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (व्हाओ) और दूसरे सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर यह डॉक्यूमेंट तैयार किया है। यह डॉक्यूमेंट अस्पतालों और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को मेडिकल डिवाइस से जुड़ी सुरक्षा संबंधी समाविष्ट घटनाओं की पहचान करने, उनका रिकॉर्ड रखने, उनका आकलन करने और उनकी रिपोर्ट करने के लिए एक सुरक्षा देता है। आईपीसी के सक्षिप्त एवं वैज्ञानिक निदेशक डॉ. वी. कल्लेस्वर्न ने कहा- "मेडिकल उपकरणों से जुड़ी संदिग्ध घटनाओं और उनके दुष्परभावों की लगातार निगरानी और समय पर रिपोर्टिंग करने की बहुत जरूरत है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस और सॉफ्टवेयर से चलने वाली मेडिकल तकनीकों का



इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है।" हाई-रिस्क उपकरणों की सक्रिय निगरानी यह दिशा-निर्देश उन क्रिटिकल और जीवन रक्षक मेडिकल उपकरणों की सक्रिय निगरानी पर विशेष जोर देता है, जिनका उपयोग गहन देखभाल (एन), कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ऑन्कोलॉजी (कैंसर) और आपातकालीन देखभाल जैसे हाई-रिस्क वाले क्लीनिकल क्षेत्रों में किया जाता है। अस्पतालों को एक व्यवस्थित निगरानी तंत्र स्थापित करने की सलाह दी गई है, जिसमें उपकरणों के प्रदर्शन, उनके दुष्परभावों, खराबी, शिकायतों और बाल-बाल बची दुर्घटनाओं को शामिल किया जाए। दस्तावेज के अनुसार, इस तरह की निगरानी से किसी गड़बड़ी के शुरुआती संकेतों का पता लगाने, उसके मूल कारण का विश्लेषण करने और सुधारात्मक व निवारक कार्रवाई करने में आसानी हो सकती है। इस प्रस्तावित प्रणाली के तहत, अस्पताल उपकरणों के उपयोग और उनके जोखिम के स्तर के आधार पर, चिन्हित किए गए महत्वपूर्ण मेडिकल उपकरणों की सूची की साप्ताहिक या

मासिक आधार पर नियमित निगरानी करेंगे। इस श्रेणी में आमतौर पर वे उपकरण शामिल होते हैं जो शरीर के भीतर प्रत्यारोपित (इम्प्लांटेबल) किए जाते हैं, जीवन रक्षक होते हैं, या फिर ऐसे उपकरण होते हैं जिनमें खराबी आने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, सक्रिय निगरानी के तहत आने वाले इन उपकरणों की सूची को संबंधित क्लीनिकल विभागों में प्रमुखता से प्रदर्शित भी किया जाना है, जिनमें गहन देखभाल इकाइयां (एन), ऑपरेशन थिएटर (ऑ), कैथीटराइजेशन लेबोरेटरीज (कैथ लेब) और स्पेशलिटी वार्ड शामिल किया जाए। दस्तावेज के अनुसार, इस तरह की निगरानी से किसी गड़बड़ी के शुरुआती संकेतों का पता लगाने, उसके मूल कारण का विश्लेषण करने और सुधारात्मक व निवारक कार्रवाई करने में आसानी हो सकती है। इस प्रस्तावित प्रणाली के तहत, अस्पताल उपकरणों के उपयोग और उनके जोखिम के स्तर के आधार पर, चिन्हित किए गए महत्वपूर्ण

कूनों में नामीबियाई चीता गौरव की मौत, 10 साल से अधिक थी उम्र, भारत में अब 55 चीते

श्वेपुर: कूनों नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट चीता के लिए एक दुःखद खबर सामने आई है। नामीबिया से भारत लाए गए चीता गौरव की सोमवार 21 सितंबर 2026 को उपचार के दौरान मौत हो गई। गौरव की उम्र 10 वर्ष से अधिक बताई गई है। चीता गौरव का 12 सितंबर को जंगल से रेस्क्यू किया गया। सोमवार की शाम कूनों नेशनल पार्क की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, 12 सितंबर 2026 को गौरव को जंगल से रेस्क्यू किया गया था। निगरानी के दौरान वह कमजोर और सुस्त नजर आया था। चिकित्सकीय जांच में वह बेहद कमजोर पाया गया और उसके शरीर में मांसपेशियों की क्षति तथा गंभीर डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखाई दिए। छउपडुपंड बीममजी कनतंअ कपमे पद झनदय कूनों नेशनल पार्क की ओर से जारी प्रेस नोट (म्यूट ऑनगौरव की मौत का सटक कारण पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा) के बाद गौरव को तत्काल उपचार दिया गया और बेहतर निगरानी एवं आगे के प्रबंधन के लिए पालपुर स्थित क्वारंटीन बोमा (फव) में रखा गया। प्रारंभिक चिकित्सकीय जांच में उसके शरीर में किसी अंतर्निहित पुरानी बीमारी की आशंका जताई गई थी, लगातार उपचार और देखभाल के बावजूद गौरव की हालत में सुधार नहीं हो सका और 21 सितंबर को शाम करीब 4 बजे उसने दम तोड़ दिया। अधिकारियों के मुताबिक, गौरव की मौत



का सटीक कारण पोस्टमार्टम और लिए गए सैंपलों की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। कूनों नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर आर. थिरुकुरल ने बताया कि "12 सितंबर 2026 को गौरव को जंगल से रेस्क्यू किया गया था। निगरानी के दौरान वह कमजोर और सुस्त नजर आया था। चिकित्सकीय जांच में वह बेहद कमजोर पाया गया और उसके शरीर में मांसपेशियों की क्षति तथा

गंभीर डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखाई दिए। गौरव को तत्काल उपचार दिया गया और बेहतर निगरानी एवं आगे के प्रबंधन के लिए पालपुर स्थित क्वारंटीन बोमा (फव) में रखा गया। प्रारंभिक चिकित्सकीय जांच में उसके शरीर में किसी अंतर्निहित पुरानी बीमारी की आशंका जताई गई, मौत का अंतिम कारण पोस्टमार्टम और सैंपल जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा।"

मेगा आयुर्वेद हेल्थ कैंप का लाभ उठाएं



पेदापल्ली, 21 सितंबर (बपअपब छंजपवद) राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 23 सितंबर को पेदापल्ली जिला अस्पताल स्थित आयुष विन्स हॉस्पिटल में मेगा आयुर्वेद हेल्थ कैंप आयोजित किया जाएगा। जिला कलेक्टर कोया श्री हर्ष ने जनता से इस कैंप का लाभ उठाने की अपील की। सोमवार को कलेक्टर ने अपने चौंवर में हेल्थ कैंप के पोस्टर का विमोचन किया। कार्यक्रम में आयुष चिकित्सा अधिकारी शामिल हुए।

अवैध रेत परिवहन पर सख्त कार्रवाई: मुख्य सचिव संजय जाजू

हैदराबाद, 21 सितंबर (बपअपब छंजपवद)

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के निर्देशों के तहत मुख्य सचिव संजय जाजू ने खनन एवं भुविज्ञान विभाग की समीक्षा की। उन्होंने खनिज संसाधनों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से राज्य की आय बढ़ाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अवैध रेत परिवहन, अवैध खनन और खनिजों के अनधिकृत परिवहन को रोकने के लिए विजिलेंस टीमों द्वारा नियमित निरीक्षण और आकस्मिक छापेमारी करने को कहा। उन्होंने विभाग में रिक्त पदों की भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया को भी तेज करने के निर्देश दिए।



प्रजावाणी शिकायतों का शीघ्र समाधान करें: कलेक्टर



जगित्याल, 21 सितंबर (बपअपब छंजपवद) प्रजावाणी कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों और आवेदनों की पूरी जांच कर शीघ्र समाधान करने के निर्देश जिला कलेक्टर बी. सत्यप्रसाद ने अधिकारियों को दिए। सोमवार को कलेक्टर ने आयोजित प्रजावाणी में उन्होंने जनता से आवेदन प्राप्त किए। इस दौरान कुल 57 शिकायतें प्राप्त हुईं। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि आवेदनों को लंबित न रखें और निर्धारित समय में समाधान कर आवेदकों को जानकारी दें। कार्यक्रम में अतिरिक्त कलेक्टर बी.एस. लता, वी. राजा गोड सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

रेलवे परियोजनाओं पर केंद्र की सकारात्मक प्रतिक्रिया

सारापाकाधमद्राचलम

संयुक्त खम्मम क्षेत्र की रेलवे परियोजनाओं पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। राज्य मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव के पत्र पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फोन पर बात कर आश्वासन दिया। उन्होंने पांडुरंगपुरमदुसाकैतपुरी रेलवे लाइन के कार्य जल्द शुरू कराने की बात कही। साथ ही सतुपल्लीदुकोबूर रेलवे लाइन के लिए निधि और पेनुचलीदुकोडपल्ली नई रेल लाइन की मंजूरी पर विशेष टीमों को भेजकर जांच कराने का आश्वासन दिया।

इन परियोजनाओं के पूरा होने से भद्राचलम आने वाले श्रद्धालुओं के साथ-साथ संयुक्त खम्मम क्षेत्र के लोगों को बेहतर रेल सुविधा मिलेगी।

अनुमति बिना स्टेम सेल इलाज पर कार्रवाई के निर्देश

नई दिल्ली: मचजमउडमत 21 (बपअपब छंजपवद)

केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बिना अनुमति और वैज्ञानिक प्रमाणों के स्टेम सेल थेरेपी देने वाले डॉक्टरों और क्लीनिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर डॉक्टरों के खिलाफ पेशेवर नैतिकता नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है। वहीं, संबंधित क्लीनिकों के लाइसेंस रद्द करने सहित कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। मंत्रालय ने लोगों से ऐसे दावों से सावधान रहने की अपील की है।



एसटी, एससी, बीसी अभ्यर्थियों को सिविल सेवा की निःशुल्क कोचिंग

राजन्ना सिरिसिल्ला, 21 सितंबर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा-2027 की तैयारी कर रहे एसटी, एससी और बीसी अभ्यर्थियों को राज्य जनजातीय कल्याण विभाग की ओर से निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। यह जानकारी जिला जनजातीय विकास अधिकारी श्रीमती के. संगीता ने दी। राजेंद्रनगर स्थित ट्राइबल आईएसएस स्टडी सर्किल में श्रीराम्स आईएसएस कोचिंग संस्थान के सहयोग से आवासीय पद्धति में इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थियों का चयन ऑब्जेक्टिव टाइप और एंटीट्यूड टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्र अभ्यर्थी मुसलिम तबलेपें बगुड वेबसाइट पर 23 सितंबर शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 9121087421 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रजावाणी शिकायतों का शीघ्र समाधान करें



भूपालपल्ली, 21 सितंबर : प्रजावाणी में प्राप्त शिकायतों की अधिकारियों को तुरंत जांच कर समाधान करना चाहिए, अतिरिक्त कलेक्टर अशोक कुमार ने निर्देश दिए। सोमवार को आईडीओसी में आयोजित प्रजावाणी कार्यक्रम में जनता से 68 आवेदन प्राप्त हुए। प्रत्येक आवेदन पर एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई कर, की गई कार्रवाई का विवरण पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश दिए गए।

विनायक विसर्जन में डीजे की अनुमति नहीं

आदिलाबाद, 21 सितंबर विनायक विसर्जन उत्सवों में डीजे की अनुमति नहीं है, आदिलाबाद डीएसपी एल. जीवन रेड्डी ने स्पष्ट किया। बोध मंडल के विरलगोदी गांव में गणपति विसर्जन के दौरान विना अनुमति तेज आवाज में डीजे लगाने पर पुलिस ने कार्रवाई की। डीजे, वाहन और हानिकारक लाइटों को ज्वर कर डीजे मालिक चिंटू साई के खिलाफ बोध पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।

डीएसपी ने चेतावनी दी कि लोगों को असुविधा या नुकसान पहुंचाने वाली तेज आवाज में डीजे लगाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



देश के 43 प्रतिशत भूभाग में वर्षा की कमी

नई दिल्ली, 21 सितंबर : देश के करीब 43 प्रतिशत भूभाग में वर्षा की कमी की स्थिति बनी हुई है। मौसम अनुमानों के अनुसार आंध्र प्रदेश, बिहार और मेघालय में बारिश की कमी अधिक दर्ज की गई है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी कुछ क्षेत्रों में शुरू होने के बीच कई राज्यों में सामान्य से कम वर्षा हुई है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के प्रभाव से पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

अनुमति बिना स्टेम सेल इलाज पर कार्रवाई के निर्देश

नई दिल्ली: मचजमउद्दमत 21(बपअपब छंजपवद)

केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बिना अनुमति और वैज्ञानिक प्रमाणों के स्टेम सेल थेरेपी देने वाले डॉक्टरों और क्लिनिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर डॉक्टरों के खिलाफ पेशेवर नैतिकता नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है। वहीं, संबंधित क्लिनिकों के लाइसेंस रद्द करने सहित कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। मंत्रालय ने लोगों से ऐसे दावों से सावधान रहने की अपील की है।

कुशाईगुड़ा में मेगा हेल्थ कैंप

कुशाईगुड़ा, 21 सितंबर: डॉ. ए.एस. राव की जयंती के अवसर पर इसीआईएल स्थित साई सुधीर डिग्री एंड पीजी कॉलेज में मेगा हेल्थ एवं रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। उपपल विधायक बंदारी लक्ष्मा रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिविर में आंख, दंत, बीपी, शुगर, ईसीजी, स्त्री रोग, होम्योपैथी और फिजियोथेरेपी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गईं। कई लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान भी किया। विधायक ने रेटिनोवा नोवा फाउंडेशन और स्वयंसेवी संस्थाओं की सराहना करते हुए युवाओं से रक्तदान कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।

की नई एडवाइजरी, राज्यों को मानव तस्करी विरोधी अभियान तेज करने का निर्देश

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (ड॰) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों (व॰) से मानव तस्करी से निपटने के लिए अधिक तालमेल वाला और तकनीक पर आधारित तरीका अपनाने को कहा है। साथ ही, इस बात पर जोर दिया है कि नए आपराधिक कानून, का प्रभाव काफी हद तक जमीनी स्तर पर उनके लागू होने पर निर्भर करेगा, मानव तस्करी का मुक, बला करने पर जारी एडवाइजरी में, गृह मंत्रालय ने एंटी-ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनियट्स (ए॰) को मजबूत करने, पीड़ितों की पहचान में सुधार करने और तस्करी नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के अलावा, भारतीय न्याय संहिता (ठ॰), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (ठ॰) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (ठ॰) के अधिक उपयोग का आह्वान किया है। मंत्रालय ने हाल ही में जारी अपनी एडवाइजरी में, जांच अधिकारियों से विशेष रूप से ठ॰ की धारा 111 की प्रासंगिकता की जांच करने के लिए कहा है, जो संगठित अपराध से संबंधित है और इसके दायरे में मानव तस्करी भी शामिल है। यह प्रावधान संगठित अपराध के लिए वैधानिक शर्तों को पूरा करने पर तस्करी से जुड़ी वैधानिक गतिविधि जारी रखने पर लागू हो सकता है। एडवाइजरी में बच्चों और एक से अधिक पीड़ितों से जुड़े मामला, सहित मानव तस्करी के मामलों में ठ॰ की धारा 143 और 144 को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया गया है। धारा 143 के तहत, धमकी, बल, जबरदस्ती, अपहरण, घोषाघड़ी, छल, सत्ता के दुरुपयोग या प्रलोभन जैसे तरीकों का उपयोग करके शोषण के वास्ते किसी व्यक्ति की भर्ती करने, उसे ले जाने, छिपाने, स्थानांतरित करने या प्राप्त करने को मानव तस्करी के रूप में परिभाषित किया गया है। इस कानून में बच्चों या एक से अधिक बच्चों की तस्करी किए जाने पर कठोर दंड का प्रावधान है।



गृह मंत्रालय ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे अपना ध्यान निचले स्तर के अपराधियों से आगे बढ़ाकर जांच पर केंद्रित करें और मानव तस्करी नेटवर्क के फाइनेंसर (वित्तपोषक), ऑर्गनाइजर (संचालकों) और अन्य सदस्यों की पहचान करें। साथ ही, मंत्रालय ने ऐसे आपराधिक अभियानों से जुड़ी संघटियों का पता लगाने और उन्हें ज्वर करने पर भी जोर दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एडवाइजरी में डिजिटल साक्ष्यों को केंद्रीय भूमिका दी गई है। जांचकर्ताओं को एंफ्रिंटेड चोट, वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड, भौगोलिक स्थिति की जानकारी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित करने के लिए कहा गया है। गृह मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से जुड़े ठ॰ के प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला है और पुलिस बलों से ऐसे सबूतों को इकट्ठा करने और उन्हें सुरक्षित रखने की अपनी क्षमता को मजबूत करने के लिए कहा है। एडवाइजरी में कहा गया है, "एंफ्रिंटेड चोट, वित्तीय लेनदेन और जियोलोकेशन डेटा सहित डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का उपयोग किया जाना चाहिए।"

एडवाइजरी में तलाशी और छापेमारी के दौरान तकनीक के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है। यह ठ॰ के तहत तलाशी और जब्ती के अभियानों की अनिवार्य रूप से ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग करने की मांग करता है और बचाव तथा छापेमारी के अभियानों के दौरान फोरेंसिक साक्ष्य जुटाने पर जोर देता है। ड॰ ने राज्यों को मानव तस्करी विरोधी इकाइयों (ए॰) को मजबूत करने का भी निर्देश दिया है। जिन्हें निर्भया फंड के तहत वित्तीय सहायता मिली है, राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इन इकाइयों में पर्याप्त कर्मचारी हों, वे विशेषज्ञता प्राप्त हों और सिर्फ औपचारिक ढांचे के रूप में काम करने के बजाय फील्ड ऑपरेशंस में सक्रिय रूप से शामिल हों।

एजेंसियों के बीच समन्वय का आह्वान

लेबर ट्रेफिकिंग के लिए, इस एडवाइजरी में मानव तस्करी विरोधी इकाइयों (ए॰), पुलिस, श्रम विभागों और अन्य एजेंसियों के बीच औपचारिक समन्वय का आह्वान किया गया है, विशेष रूप से ईट भट्टों, पत्थर खदानों, कपड़ा और घरेलू काम जैसे क्षेत्रों में, राज्यों को तस्करी के मामलों के लिए विशेष सरकारी वकीलों को नामित करने और विशेष अदालतों में मुकदमों को प्राथमिकता देने के लिए उच्च न्यायालयों के साथ समन्वय करने की भी सलाह दी गई है।

गृह मंत्रालय ने पीड़ितों की पहचान करने के व्यापक प्रोटोकॉल बनाने का आह्वान किया है, जिसमें विशेष रूप से उन पुरुषों और लड़कों पर ध्यान देने की बात कही गई है जिन्हें मजदूरी कराने के लिए तस्करी का शिकार बनाया जा सकता है, पुलिस और श्रम अधिकारियों को उच्च

विश्व ब्राह्मणों के आर्थिक विकास के लिए खास काम

दिल्ली में 33 लाख के करीब मतदाताओं को नोटिस, कई टटप्प भी शामिल, जानिए टॉप-10 कारण

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में चल रहे विशेष गठन पुनरीक्षण (ए॰) अभियान के तहत इन दिनों प्रशासनिक गलतियों से लेकर आम नागरिकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। चुनाव आयोग की ओर से 31 अगस्त को जारी किए गए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बाद, डेटा में पाई गई विसंगतियों और तकनीकी कमियों को दूर करने के लिए धड़ाधड़ नोटिस भेजे जा रहे हैं। अब तक लगभग 33 लाख (32,27,443) मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिसमें देश के कई दिग्गज राजनेता, पूर्व वीपीआई और शीर्ष अधिकारी भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों और मैडेट एनालिटिक्स एट कंसल्टिंग के विश्लेषण के अनुसार, अधिकांश मतदाताओं को केवल एक ही कारण से नोटिस मिला है, जबकि कुछ मामलों में दो या उससे अधिक विसंगतियां भी दर्ज की गई हैं। आइए जानते हैं वे टॉप-10 कारण जिनके आधार पर सबसे ज्यादा लोगों को नोटिस धमाए गए हैं।

अशोक कुमार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली (ए॰) ठीक-ठीक भेजे गए मतदाताओं को नोटिस, टॉप-10 कारण डेटा के अनुसार उन 10 प्रमुख वजहों की सूची नीचे दी गई है, जिनके कारण दिल्ली के मतदाताओं को सबसे अधिक नोटिस मिले हैं। पिछले एसआईआर से मैपिंग न होना: यह सूची में सबसे बड़ा कारण है, कुल 13,40,213 यानी 41.51 फीसदी मामलों इसी श्रेणी से जुड़े हैं। इसमें पूर्व उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, चुनाव आयुक्त एसएस संधू, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कई वरिष्ठ नौकरशाहों के नाम शामिल हैं, जिनके मौजूदा रिकॉर्ड पिछले एसआईआर डेटा से नहीं जुड़ पाए।

माता-पिता के नाम में अंतर: दूसरे नंबर पर यह बड़ी वजह है, जिसके तहत 7,65,112 लगभग 23.71 फीसदी नोटिस भेजे गए हैं। इसमें फॉर्म में भरे गए माता-पिता के नाम और पुराने डेटाबेस के नाम में भिन्नता पाई गई है। स्वयं के नाम में अंतर: मतदाता के अपने नाम की स्पेलिंग या सरनेम में अंतर के चलते 5,44,504 (16.86 फीसदी) लोगों को नोटिस का सामना करना पड़ा है।

संतान की आयु का 9 महीने से कम अंतर: तार्किक विसंगतियों के तहत 2,08,697 (6.47 फीसदी) मामलों में माता-पिता और बच्चों की उम्र के बीच का अंतर 9 महीने से कम दर्ज पाया गया है।

माता-पिता की आयु का अंतर 15 वर्ष से कम: इस तकनीकी गड़बड़ी के कारण 1,60,795 (4.98



फीसदी) नोटिस जारी किए गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी इस कारण ही आयोग ने नोटिस भेजा था।

6 या उससे अधिक संतानें:

रिकॉर्ड के मुताबिक 1,37,492 (4.26 फीसदी) मामलों में बच्चों की संख्या 6 या उससे अधिक दर्ज होने पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

माता-पिता की आयु का अंतर 50 वर्ष से अधिक: उम्र के इस असंतुलन के चलते 80,626 (2.50 फीसदी) मतदाताओं के फॉर्म होल्ड पर रखे गए हैं। दादा-दादीधाना-नानी की आयु का अंतर 40 वर्ष से कम पीढ़ियों के अंतराल से जुड़े इस अंतर के कारण 72,581 (2.25 फीसदी) नोटिस गए हैं।

कारण दर्ज नहीं: कई ऐसे तकनीकी मामलों में सामने आए हैं जहां सिस्टम ने नोटिस तो भेज दिया लेकिन उसकी ठोस वजह रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाई। ऐसे मामलों की संख्या 58,163 (1.80 फीसदी) है। पिछले एसआईआर में माता-पिता का अयोग्य होना:

यह सबसे कम यानी सिर्फ 178 (0.01 फीसदी) मामलों में देखने को मिला, जहां पिछली प्रक्रिया में माता-पिता को अयोग्य पाया गया था।

घबराह नहीं, नोटिस मिलने का मतलब नाम काटना नहीं होता कि इन नोटिस को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने कहा है कि इतने बड़े पैमाने पर नोटिस मिलने का यह कतई मतलब नहीं है कि संबंधित मतदाता का नाम सूची से काट दिया गया है। यह केवल डेटा सुधार और ईसिनेट (एम॰) प्रणाली को दुरुस्त करने की एक प्रक्रिया है। अगर आपको या आपके परिवार को भी 'प' प्रक्रिया के तहत ऐसा कोई नोटिस मिला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर या निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (म॰) के पास जाकर आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य जमा करवाएं, ताकि आपकी प्रविष्टि को अंतिम सूची

में वैध किया जा सके। नेशनल कंपैन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन की सहसंयोजक अंजलि भारद्वाज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 33 लाख लोगों को और नोटिस जारी किए हैं कि आप अगर प्रूब नहीं कर पाते कि आप सिटीजन हैं, तो आपका नाम भी डिलीट कर दिया जाएगा, मतलब 90 लाख से ज्यादा पोटेंशियल डिलीशंस हो सकती हैं, एसआईआर और प्री-एसआईआर फेस के अंदर।

33 लाख लोगों को नोटिस

उन्होंने कहा, तो बड़ा सवाल तो यही उठता है कि 2025 में फरवरी में जो चुनाव हुए, उसके जो नतीजे आए उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती, रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर बनीं, तो क्या उन चुनावों के नतीजों पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट इतनी खराब थी तो फिर किसने वोट किया, किसने चुना और उन नतीजों को कैसे हम विश्वसनीय देखें, दूसरी बात यह है कि जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए, कहा कि कुछ लॉजिकल डिरिफ्रेंसीज हैं, कुछ अनमैड लोग हैं जिन्हें कि अब अपने दस्तावेज दिखाने होंगे, अब लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं, ऐसे लोग जो कि वोटर लिस्ट में पहले फेज के बाद आ गए थे, करीब 1 करोड़ लोगों में से 33 लाख लोगों को नोटिस भेजे गए पारदर्शिता के बिना काम नहीं होना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा, इलेक्शन कमीशन ने न लिस्ट मुहैया कराई और न ही कारण बताया कि नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं। दिल्ली की जनता को यह मालूम ही नहीं पड़ रहा कि अगर उनका नाम फर्स्ट लिस्ट में आ गया वोटर लिस्ट में तो क्या वह निश्चित होकर बैठ जाए कि उन्हें नोटिस आ सकता है, एक यादिका हम लोग ने दायर की सुश्रीम कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया कि पारदर्शिता के बिना यह काम नहीं होना चाहिए, वोटर लिस्ट को पब्लिक डोमेन में डाला जाना चाहिए, साथ ही लॉजिकल डिरिफ्रेंसी किसे कहा जा रहा है, वह क्राइटेरिया भी बताने की जरूरत है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी भेजा गया नोटिस (ए॰) ठीक-ठीक सीएम भी घरे में कोर्ट ने कहा कि यह जरूरी मुद्दे हैं, इन्हें प्रेसीडेंस दिया जाएगा और मंगलवार को सुनवाई के लिए रखा, मुद्दे में केंस के बाद इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट कोर्ट मुहैया कराई और जब लिस्ट सामने आई तो चौंकाने वाली जानकारी मिली, यह पता चला कि दिल्ली की

धनबाद की चिप को राष्ट्रीय मंच पर मिला सम्मान, पीएम ने किया हैंडओवर



धनबाद: भारत में स्वदेशी सेमीकंडक्टर तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में आईआईटी (आईएसएम) धनबाद ने एक और उपलब्धि हासिल की है, नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन समारोह के दौरान चिप हैंडओवर सेरेमनी में संस्थान की रिसर्च टीम द्वारा विकसित चिप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया। इस दौरान आईआईटी (आईएसएम) धनबाद की ओर से रिसर्च स्कॉलर राहुल रंजन ने चिप और स्मृति चिह्न प्राप्त किया। यह चिप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर प्रो. राजीव कुमार रंजन के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। देशभर के 20 संस्थानों के छात्रों की ओर से विकसित चिप्स को इस विशेष समारोह में सम्मानित किया गया।

आईआईटी (आईएसएम) धनबाद की यह चिप उपपेजतल वा स्ममजतवदपदक पदवितरंजपवद जम्बीदवसवहल (डमपजल) द्वारा वित्त पोषित प्रोजेक्ट 'नसजत-स्व च्चुमत' 'पेजपजम' 'उंजज जस' के तहत विकसित की गई है। चिप का निर्माण 'मउपबवदकनबजवत रंजतजवतल (रंज), मोहली में किया गया है। यह डिजिटल एप्लीकेशन-स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी 'IP चिप है, जिसे 7670 कैमरा के जरिए रियल टाइम इमेज प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे स्मार्ट ग्लास विकसित करना है, जो आकार में कॉम्पैक्ट होने के साथ कम ऊर्जा की खपत करें। इस तकनीक का इस्तेमाल केवल स्मार्ट ग्लास तक सीमित नहीं है। इसकी आर्किटेक्चर और प्रोसेसिंग तकनीक को बायोमेडिकल इमेजिंग, असिस्टिव हेल्थकेयर डिवाइस, वियरेबल सेंसर और एज एआई सिस्टम जैसे क्षेत्रों में भी उपयोग किया जा सकता है। चिप को मिले राष्ट्रीय सम्मान पर प्रो. राजीव कुमार रंजन ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया जैसे मंच पर संस्थान की टीम द्वारा विकसित चिप को पहचान मिलना पूरे विभाग के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि इस तरह का मंच युवा शोधकर्ताओं को सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही, स्वदेशी चिप डिजाइन और निर्माण की दिशा में भारत की क्षमता को भी इससे मजबूती मिलेगी।

पेनमैन ऑडिटोरियम में छात्रों ने देखा लाइव कार्यक्रमनई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन समारोह और चिप हैंडओवर सेरेमनी का लाइव प्रसारण आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के पेनमैन ऑडिटोरियम में भी किया गया। संस्थान के छात्रों और फैंकल्टी सदस्यों ने कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। इस मौके पर संस्थान के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा, रजिस्ट्रार प्रबोध पांडेय, डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रो. संजय मंडल, एसोसिएट डीन (स्टूडेंट्स वेल बीइंग) प्रो. संजीव आनंद साहू, प्रो. राजीव कुमार रंजन सहित अन्य फैंकल्टी और संस्थान के सदस्य मौजूद रहे। सेमीकॉन इंडिया 2026 में मिली यह पहच आईआईटी (आईएसएम) धनबाद में चल रहे स्वदेशी सेमीकंडक्टर डिजाइन, लो-पावर चिप और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय मंच पर सामने लाती है।

पीएम मोदी के जन्मोत्सव पर सेवा संकल्प अभियान की हुई शुरुआत, रक्तदान के साथ आयोजित हुए कई कार्यक्रम



रांची: पीएम मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश भाजपा के द्वारा गुरुवार से सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में इसकी शुरुआत रक्तदान शिविर सहित अन्य कार्यक्रमों से की गई। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र कुमार राय सहित कई नेता मौजूद थे। पीएम मोदी के 76 वें जन्मदिन को खास अंदाज में मना रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान मेडिकल जांच और रक्तदान के जरिए उनके दीर्घायु जीवन की कामना की। इस अवसर पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही सहित कई नेताओं ने रक्तदान किया, वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय ने मेडिकल जांच कराई। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश भाजपा के द्वारा दीपोत्सव किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश भाजपा कार्यालय से लेकर भाजपा कार्यकर्ता अपने-अपने घरों और जिला-मंडल स्थित कार्यालय में दीप जलाकर उनके दीर्घायु जीवन की कामना करेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन से शुरू हो रहे सेवा संकल्प अभियान के बारे में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में राष्ट्र सेवा, सुशासन और सम्पूर्ण भाव के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह आयोजित किया जा रहा है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक पूरे प्रदेश में एक महीने तक यह अभियान जनसेवा के महापर्व के रूप में चलाया जायेगा। रक्तदान शिविर कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी, आदित्य साहू और अन्य (मन्त्र्य रीटज) उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि गुरुवार शाम एक दीप जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुख समृद्धि और दीर्घायु जीवन के लिए सभी लोग कामना करें। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान को बताते हुए कहा कि गुरुवार को विश्वकर्मा पूजा भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है यह हम सभी के लिए खास दिन है। मैं उनके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ।

2012 में 17 साल की लड़की का बेरहमी से रेप और मर्डर: सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश दिए

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक के उज्जीरे में 2012 में 17 साल की नावा, लिंग लड़की के रेप और मर्डर की जांच ने उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। अदालत ने इस जांच को पीड़िता के साथ बहुत बड़ा अन्याय बताया। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि गलत तरीके से मुकदमा चलाने पर मुआवजा दिया जा सकता है लेकिन जिस लड़की का बेरहमी से रेप और मर्डर हुआ है और उसे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। यह कहते हुए कि समाज को पीड़िता को निराश नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से जांच का आदेश दिया और अधिकारियों को असली दोषियों को सजा दिलाने का निर्देश दिया। जस्टिस संजय कुमार और संजीव सचदेवा की बेंच ने कहा कि अक्टूबर 2012 में बेलथांगडी पुलिस द्वारा मूल रूप से दर्ज की गई शिकायत और उसके बाद दर्ज की गई एफआईआर की नए सिरे से जांच की जानी चाहिए। बेंच ने कहा कि कर्नाटक सरकार को एक विशेष जांच दल (ज्) बनानी चाहिए जिसमें कुशल जांचकर्ता हों। ऐसे जांचकर्ता जो आधुनिक जांच तकनीक के इस्तेमाल से अच्छी तरह वाकिफ हों, और जिसका नेतृत्व राज्य का एक सीनियर पुलिस अधिकारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेलथांगडी पुलिस थाना, सीआईडी या सीबीआई की जांच टीम का कोई भी अधिकारी जो इस मामले से पहले से जुड़े थे वे लोग स्पेशल जांच दल का हिस्सा नहीं होंगे। बेंच ने आगे कहा, मामले पर नई जांच तीन महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी और पुलिस रिपोर्ट कानून के मुताबिक संबंधित कोर्ट में फाइल की जाएगी। उसके बाद मामला कानून के मुताबिक आगे बढ़ेगा। बेंच ने कहा कि ऐसे मामले में जहां 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ बेरहमी से रेप और मर्डर किया जाता है, जिस तरह से जांच बड़े



बड़ी है और जिस तरह से अलग-अलग जांच एजेंसियों ने जांच की और सबूत इकट्ठा किए और उनकी जांच की उससे कोर्ट की अंतरात्मा भी हिल गई है। बेंच ने कहा कि जिस व्यक्ति पर केस चला उसे जुर्म करने के कबिल नहीं पाया गया और जांच इस तरह से की गई जिससे पीड़िता के साथ अन्याय हुआ। बेंच ने कहा कि असली गुनहगारों के जांच में हेरफेर करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस तरह की ढीली और गलत जांच उन जांच अधिकारियों को फायदा देती है जो अपना काम सही और मेहनत से करने में नाकाम रहे। बेंच ने कहा, 'जिस व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया गया था, उसके साथ हुए अन्याय की हमेशा भरपाई की जा सकती है। लेकिन जिस पीड़िता का बेरहमी से रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई, उसके साथ हुए अन्याय की कमी भरपाई नहीं की जा सकती। बेंच ने कहा, 'अगर समाज ऐसे जघन्य अपराध की पीड़िता को सही जांच करके और असली गुनहगारों को सजा दिलाकर न्याय नहीं देता है तो वह अपने कर्तव्य में नाकाम होगा।' आपराधिक मामले में कमी का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि खास हालात में अदालत आपराधिक न्याय (क्रिमिनल जस्टिस) की

गलती को रोकने के लिए और अगर जरूरी समझे तो नए सिरे से जांच का निर्देश दे सकता बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक निष्पक्ष जांच, संविधान के आर्टिकल 21 के तहत गारंटी वाले संवैधानिक अधिकार का उतना ही हिस्सा है जितना कि एक निष्पक्ष सुनवाई, जिसके बिना सुनवाई स्नाभाविक रूप से निष्पक्ष नहीं होगा। बेंच ने कहा, 'जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और सही होनी चाहिए क्योंकि यह कानून के शासन की अनिवार्य व बुनियादी शर्त है। जांच एजेंसी को दानी और पक्षपाती तरीके से जांच करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जहां कोर्ट के दखल न देने से आखिरकार न्याय नहीं होगा, वहां कोर्ट को दखल देना चाहिए।' डीएनए जांच करने वाले टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन के सहायक निदेशक के बयान पर ध्यान देते हुए बेंच ने कहा कि उनके बयान से पता चलता है कि अगर संदिग्ध लोग मिलते हैं, तो पीड़ित के कपड़ों से लिए गए डीएनए सैंपल का मिलान अभी भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'इस तरह, हाई कोर्ट का यह कहना कि यह शक है कि जो सबूत गोल्डन आवर में इकट्ठा नहीं किए जा सके, वे अभी भी मौजूद हैं और अगर दोबारा जांच की इजाजत दी भी गई तो भी कोई काम का मुकसद पूरा नहीं होगा। साफ तौर पर गलत है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता।' बेंच ने कहा कि जरूरी गवाह मौजूद हैं और दूसरे लोगों के बाल भी मौजूद हैं जिन्हें जरूरी चीज के तौर पर पेश किया गया है। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है, तो उसका ब्लड सैंपल लिया जा सकता है और उसकी डीएनए जांच से तुलना की जा सकती है। बेंच ने कहा कि इस पृष्ठभूमि में न्याय के लिए यह जरूरी होगा कि नए सिरे से फिर से जांच (डीनोवोडीइन्वेस्टिगेशन) के सवाल पर कानून और उन हालात की जांच की

IP और आधुनिक उपकरणों से इलाज कराना होगा अब और सेफ! केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

मकपबंस यमअपबम'मिजल हनपकमसपदमे सरकार ने दवाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए छठवां 7वां संस्करण, बायोविजिलेंस प्रोग्राम लॉन्च 10 उपपेजतल वदपदक रीतंजमई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अस्पतालों में मेडिकल डिवाइस की सुरक्षा की निगरानी के लिए व्यवस्थित और सक्रिय सिस्टम बनाने को कहा है। इसके लिए जारी नए गाइडेंस डॉक्यूमेंट में हेल्थकेयर सेंटरों से कहा गया है कि वे जरूरी डिवाइस की नियमित रूप से निगरानी करें। हर विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त करें और किसी भी घटना, खराबी, बाल-बाल बचे हाद, सो या बुरे असर की तुरंत रिपोर्ट करें। सोमवार को नई दिल्ली में 'भारत में अस्पतालों के लिए मेडिकल डिवाइस से जुड़ी घटनाओं और असर की सुरक्षा निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए गाइडेंस डॉक्यूमेंट- मेडिकल डिवाइस प्रोग्राम ऑफ इंडिया (डअच्), 2026' जारी किया गया। इसका मुकसद मेडिकल टेक्नोलॉजी (जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर से चलने वाले डिवाइस भी शामिल हैं) के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के बीच मेडिकल डिवाइस की पोस्ट-मार्केट निगरानी को मजबूत करना है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन (प्ब) ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (व्हे) इंडिया और दूसरे सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर यह डॉक्यूमेंट तैयार किया है। यह डॉक्यूमेंट अस्पतालों और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को मेडिकल डिवाइस से जुड़ी सुरक्षा संबंधी संभावित चिंताओं की पहचान करने, उनका रिकॉर्ड रखने, उनका आकलन करने और उनकी रिपोर्ट करने के लिए एक ऋखा देता है। आईपीसी के सचिव एवं वैज्ञानिक निदेशक डॉ. वी. कलेश्वरन ने कहा- "मेडिकल उपकरणों से जुड़ी संदिग्ध घटनाओं और उनके दुष्प्रभावों की लगातार निगरानी और समय पर रिपोर्टिंग करने की बहुत जरूरत है। विशेष रूप से ऐसे समय में जब भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस और सॉफ्टवेयर से चलने वाली मेडिकल तकनीकों का



इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है।" हाई-रिस्क उपकरणों की सक्रिय निगरानी यह दिशा-निर्देश उन क्रिटिकल और जीवन रक्षक मेडिकल उपकरणों की सक्रिय निगरानी पर विशेष जोर देता है, जिनका उपयोग गहन देखभाल (ज्), कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ऑन्कोलॉजी (कैंसर) और आपातकालीन देखभाल जैसे हाई-रिस्क वाले क्लीनिकल क्षेत्रों में किया जाता है। अस्पतालों को एक व्यवस्थित निगरानी तंत्र स्थापित करने की सलाह दी गई है, जिसमें उपकरणों के प्रदर्शन, उनके दुष्प्रभावों, खराबी, शिकायतों और बाल-बाल बची घटनाओं को शामिल किया जाए। दस्तावेज के अनुसार, इस तरह की निगरानी से किसी गड़बड़ी के शुरुआती संकेतों का पता लगाने, उसके मूल कारण का विश्लेषण करने और सुधारात्मक व निवारक कार्रवाई करने में आसानी हो सकती है। इस प्रस्तावित प्रणाली के तहत, अस्पताल उपकरणों के उपयोग और उनके जोखिम के स्तर के आधार पर, चिन्हित किए गए महत्वपूर्ण मेडिकल उपकरणों की सूची की साप्ताहिक या

मासिक आधार पर नियमित निगरानी करेंगे। इस श्रेणी में आमतौर पर वे उपकरण शामिल होते हैं जो शरीर के भीतर प्रत्यारोपित (इम्प्लांटेबल) किए जाते हैं, जीवन रक्षक होते हैं, या फिर ऐसे उपकरण होते हैं जिनमें खराबी आने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, सक्रिय निगरानी के तहत आने वाले इन उपकरणों की सूची को संबंधित क्लीनिकल विभागों में प्रमुखता से प्रदर्शित भी किया जाना है, जिनमें गहन देखभाल इकाइयां (ज्), ऑपरेशन थिएटर (ज्), कैथीटराइजेशन लेबोरेट्रीज (कैथ लेब) और स्पेसलिटी वार्ड शामिल किया जाए। दस्तावेज के अनुसार, इस तरह की निगरानी से किसी गड़बड़ी के शुरुआती संकेतों का पता लगाने, उसके मूल कारण का विश्लेषण करने और सुधारात्मक व निवारक कार्रवाई करने में आसानी हो सकती है। इस प्रस्तावित प्रणाली के तहत, अस्पताल उपकरणों के उपयोग और उनके जोखिम के स्तर के आधार पर, चिन्हित किए गए महत्वपूर्ण मल हैं।

कूनों में नामीबियाई चीता गौरव की मौत, 10 साल से अधिक थी उम्र, भारत में अब 55 चीते

रवोपुर: कूनों नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट चीता के लिए एक दुःखद खबर सामने आई है। नामीबिया से भारत लाए गए चीता गौरव की सोमवार 21 सितंबर 2026 को उपचार के दौरान मौत हो गई। गौरव की उम्र 10 वर्ष से अधिक बताई गई है। चीता गौरव का 12 सितंबर को जंगल से रेस्क्यू किया गया। सोमवार की शाम कूनों नेशनल पार्क की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, 12 सितंबर 2026 को गौरव को जंगल से रेस्क्यू किया गया था। निगरानी के दौरान यह कमजोर और सुस्त नजर आया था। चिकित्सकीय जांच में यह बेहद कमजोर पाया गया और उसके शरीर में मांसपेशियों की क्षति तथा गंभीर डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखाई दिए। छंउछपंद बीममजी कंनंतंअ कपमे पद ज्ञानदय कूनों नेशनल पार्क की ओर से जारी प्रेस नोट (म्यूट रीतंगौरव की मौत का सटक कारण पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा) के बाद गौरव को तत्काल उपचार दिया गया और बेहतर निगरानी एवं आगे के प्रबंधन के लिए पालपुर स्थित क्वार्टीन बोमा (फुड) में रखा

गया। प्रारंभिक चिकित्सकीय जांच में उसके शरीर में किसी अंतर्निहित पुरानी बीमारी की आशंका



जताई गई थी। लगातार उपचार और देखभाल के बावजूद गौरव की हालत में सुधार नहीं हो सका और 21 सितंबर को शाम करीब 4 बजे उसने दम

तोड़ दिया। अधिकारियों के मुताबिक, गौरव की मौत का सटीक कारण पोस्टमार्टम और लिए गए सैंपलों की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। कूनों नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर आर. थिरुकुरल ने बताया कि "12 सितंबर 2026 को गौरव को जंगल से रेस्क्यू किया गया था। निगरानी के दौरान यह कमजोर और सुस्त नजर आया था। चिकित्सकीय जांच में यह बेहद कमजोर पाया गया और उसके शरीर में मांसपेशियों की क्षति तथा गंभीर डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखाई दिए। गौरव को तत्काल उपचार दिया गया और बेहतर निगरानी एवं आगे के प्रबंधन के लिए पालपुर स्थित क्वार्टीन बोमा (फुड) में रखा गया। प्रारंभिक चिकित्सकीय जांच में उसके शरीर में किसी अंतर्निहित पुरानी बीमारी की आशंका जताई गई। मौत का अंतिम कारण पोस्टमार्टम और सैंपल जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा।"

शेयर बाजार में दो दिनों की गिरावट पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स 332 अंक और निफ्टी 99 अंक संभलकर बंद



भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तटस्थ स्थल के हमारे गरिमापूर्ण प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार करेंगे। पाकिस्तान की अपील खारिज हालांकि ये भी रिपोर्ट्स सामने आ रही है कि एशियन हॉकी फेडरेशन के उपाध्यक्ष और हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने पाकिस्तान के इस अनुरोध को पूरी तरह खारिज कर दिया है। भोला नाथ ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया है कि वो इस तरह के किसी अनुरोध पर विचार नहीं कर रहा है और ना ही आयोजन स्थल में कोई बदलाव होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी पाकिस्तान ने ऐसा किया है। अगर वे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना चाहते हैं तो उन्हें भारत आना होगा।

तकनीकी मोर्चे पर, बाजार विश्लेषकों का कहना है कि निपटी के लिए ऊपर की तरफ 23,300₹दु23,400 का दायरा रिकवरी को सीमित कर रहा है। व्यापक तकनीकी ढांचे में सुधार के लिए इंडेक्स का 23,500 के ऊपर टिकना जरूरी है। यहीं, नीचे की ओर 23,100₹दु23,070 का क्षेत्र तत्काल सपोर्ट बना हुआ है। यदि निपटी 23,070 के नीचे फिसलता है, तो बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है जो इसे 23,000₹दु22,800 के स्तर पर ला सकता है। निपटी के प्रमुख घटक शेयरों में एचबीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आईटीसी (प्ले) और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आज के टॉप गेनर्स के रूप में उभरे जिन्होंने बैचमार्क सूचकांकों को मजबूती दी, इसकी गिरावट, बीएस मार्केट में सुस्ती का माहौल रहाय

निफटी मिडकैप इंडेक्स 0.01: और निफटी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.18: टूटकर बंद हुए. सेक्टरल प्रदर्शन में निफटी आईटी और निफटी फार्मा पर गहरा दबाव देखा गया और इन दोनों क्षेत्रों में आज सबसे तीखी गिरावट दर्ज की गई. फिलहाल निवेशकों का पूरा ध्यान अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के नतीजों और ब्याज दरों को लेकर केंद्रीय बैंक के आउटलुक पर टिका हुआ है. विशेषज्ञों के अनुसार, फेड चेयरमैन की संतुलित दिष्णणी बाजार की इस रिकवरी को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन यदि अमेरिकी बॉन्ड गील्ड में दोबारा उछाल आता है या बेंट कूड ऑयल की कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल की तरफ बढ़ती हैं, तो घरेलू बाजार में एक बार फिर बिकवाली का दौर लौट सकता है.

उत्तराखण्ड प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का बजा बिगुल! 21 सितंबर से देहरादून में क्रिकेट का महारोमांच

पाटिल ने पुरुष 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत को चौथा मेडल दिला दिया, जबकि हिमांशु दिल्ली ने इसी मुकामले में रजत पदक जीतकर भारत को पांचवा मेडल दिलाया, दिल्ली ने 252.4 अंक जुटाकर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि रुद्राक्ष 230.9 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे, चीन के लिहाओ गेंग ने 254.2 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता, रुद्राक्ष पाटिल और हिमांशु दिल्ली (पाँडे) निशानेबाजी में भारत का पांचवां पदक निशानेबाजी में भारत ने दूसरे दिन तीन पदक जीते जिससे इस खेल में देश के पदकों की संख्या पांच हो गई है, रविवार को इलावेनिल, स्पेन में सल्लू और विजयका चिन्टोड

महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत के अभियान की शानदार शुरुआत की थी। इसके बाद इलावेनिल ने व्यक्तिगत स्पर्धा में भी एक और रजत पदक अपने नाम किया था। रुद्राक्ष पाटिल और हिमांशु दिल्ली रुद्राक्ष पाटिल और हिमांशु दिल्ली (फुल)डड। मैं भारत को मिला पहला पदक

भारत की सुचिका त्रिखाल ने सोमवार को महिला पारंपरिक 60 किग्रा मिश्रित मार्शल आर्ट (एमएमए) स्पर्धा में कांस्य पदक जीता. उन्हें सेमीफाइनल के अतिरिक्त दौर में सिंगापुर की हई हून टियो के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा. यह एशियाई खेलों में पदार्पण कर रही मिश्रित मार्शल आर्ट स्पर्धा में भारत का पहला पदक है. नला में नि



ट्वेन्टी ने वनडे स्क्वाड का किया ऐलान, दो खिलाड़ियों को पहली बार टीम में किया गया शामिल । भारतीय क्रिकेट बोर्ड (ट्वेन्टी) ने बुधवार रात को वेस्टइंडीज सीरीज के लिए वनडे और टी20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। वनडे टीम में दो नए चेहरों को शामिल किया गया है, जिसमें पंजाब के युवा हरफनमौला खिलाड़ी नमन धीर और जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी का नाम शामिल है। बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर से तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेले जाएंगे। वेस्टइंडीज के इस दौरे का पहला वनडे तिरुवनंतपुरम में खेला जायेगा। आकिब नबी आकिब नबी (फाई)केएल राहुल बने उपकप्तान वनडे स्क्वाड में निगमित उपकप्तान श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में केएल राहुल को वनडे टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है, क्योंकि उस समय श्रेयस अय्यर एशियन गेम्स में टीम इंडिया को लीड कर रहे होंगे। रविंद्र जेजा की वनडे में वापसी एशियाई खेलों की टीम में अक्षर पटेल की मौजूदगी और हर्ष दुबे के चोटिल होने के कारण 37 वर्षीय अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जेजा की वनडे टीम में वापसी हुई है। जेजा की संकट गेंद के क्रिकेट में दावेदारी धीरे-धीरे कमजोर पड़ रही है। इसलिए 2027 वर्ल्ड कप को देखते हुए जेजा के पास खेद को साबित

करने के लिए ये एक सुनहरा मौका है पंत-हार्दिक नजरअंदाज टीम के अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अलग-अलग कारणों से टीम में जगह नहीं बना सके। हार्दिक के 20 सितंबर को फिट घोषित किए जाने की संभावना है लेकिन राष्ट्रीय चयन समिति उन्हें तभी टीम में बुनेगी जब वह भारत 'ए' के लिए 10 ओवर में देवदाजी करके अपनी फिटनेस साबित कर देंगे वही ऋषभ पंत के मामले में माना जा रहा है कि चयनकर्ताओं ने टीम प्रबंधन के अहम सदस्यों से मिली प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया। टीम प्रबंधन के कुछ प्रमुख सदस्यों का मानना है कि अपनी असाधारण प्रतिभा के बावजूद पंत संफेद गेंद के क्रिकेट में अब तक अपनी क्षमता को अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। इसलिए उनको थोड़े रखाइ में नहीं रखा गया। पंत को इरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया का कप्तान बनाया जायेगा, जबकि मुंबई के दमदार बल्लेबाज सरफराज खान को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नैनमन धीरनमन धीर (१५३) नीतीश रेड्डी वनडे टीम में शामिल चयन समिति ने एक अहम फैसले के तहत नीतीश कुमार रेड्डी को एशियन गेम्स के लिए चुनी गई टीम से हटाकर वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किए

है, इसके पीछे प्रमुख वजह हार्दिक की अनुपस्थिति और तेज गेंदबाजी करने वाले हरफनमौला खिलाड़ियों के विकल्पों की कमी बताई जा रही है, हार्दिक को फिटनेस को लेकर लगातार बनी अनिश्चिन्ता के बीच रेड्डी को उनके संभावित उत्तराधिकारी के रूप पर देखा जा रहा है। टी20 टीम में ज्यादा बदलाव नहीं भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले सीरीज खत्म होने के बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज भी खेलेगी, जिसके लिए बोर्ड ने एशियाई खेला, के लिए चुनी गई टी20 टीम को ही बरकरार रखा है, सिर्फ यश ठाकुर और विपराज निगम की जगह मयंक यादव और प्रिंस यादव को टीम में शामिल किया गया है।

टीम इंडिया का नवदे स्वराज शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गावकवाड, केएल राहुल (उपकप्तान), ध्रुव जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड, मोहम्मद सिराज, आक्रिय नबी, यशसवी जायसवाल और नमन धीर, इंडिया का टी20 स्वराज

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अमिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), सज्जु सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला हर मैच काफी ज्यादा रोमांचक होता है, लेकिन फैंस का उत्साह उस समय ज्यादा बढ़ जाता है जब ये मुकाबला क्रिकेट के मैदान में पहुंचता है, हालांकि जापान में जारी एशियाई खेलों के मेंस क्रिकेट प्रतियोगिता में ऐसा फिक्सचर बनाया गया है, जिसकी वजह से ये दोनों टीमों सिर्फ मेडल मैच में ही आमने सामने हो सकती हैं, लेकिन सोमवार को महिला और पुरुष टेबल टेनिस टीमों के मुक. पहले में दोनों पड़ोसी देश आमने सामने आए, जिसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान को बुरी तरह 3-0 से हार



का सामना करना पड़ा. इस शानदार जीत के साथ भारत की महिला टीम क्वार्टर फाइनल में जबकि मेस टीम प्रीक्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गई है. महिला टेबल टेनिस टीम का शानदार प्रदर्शन भारतीय महिला टीम

ने ग्रुप एक में लगातार तीसरी जीत दर्ज कर शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत ने रविवार को अपने शुरुआती मुकाबलों में इंडोनेशिया और सिंगापुर को हराया था और इसके बाद फिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को खिलाफ भी अपना दबदबा कायम रखा। पिछले एशियाई खेलों में महिला युगल में कांस्य पदक जीतने वाली सुनीखा मुखर्जी ने पाकिस्तान की अलीना खान को केवल 10 मिनट में 11-3, 11-3, 11-4 से हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद 17 वर्षीय सिद्धेला दास ने कलसूम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से

शाहरुख खान का बप्पा की आरती करते वीडियो वायरल, जानें 'किंग खान' को देख क्या बोले यूजर्स

देशभर में इस वक्त गणपति सेलिब्रेशन की धूम है। हाल ही में गणेश चतुर्थी के मौके पर पूरा देश जगमगा उठा था। वहीं, मुकेश अंबानी के गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन में कई बॉलीवुड स्टार्स ने बस्तक दी थी। सलमान खान समेत कई स्टार्स यहां पैपराजी को पोज देते हुए पहुंचे थे। लेकिन अभिनेता शाहरुख खान गणेश चतुर्थी समारोह में पैपराजी से दूर चुपचाप प्रवेश किया। अब एटिलिया स्टडियम के अंदर से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सुपरस्टार को गणपति आरती करते हुए देखा गया है। अभिनेता अंबानी परिवार और अन्य मेहमानों के साथ आरती में शामिल होते नजर आए। वायरल वीडियो में सुपरस्टार मुकेश अंबानी गणपति प्रतिमा के सामने आरती करते नजर आ रहे हैं। उनके बाद नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट और ईशा अंबानी ने भी बारी-बारी से आरती की।

इस अवसर पर, 'किंग खान' ने एक चमकदार सफेद शर्ट और काले रंग की पैंट पहनकर अपना लुक सादा रखा। अंबानी परिवार और अन्य गेस्ट बप्पा के चारों ओर इकट्ठे हुए और अभिनेता समारोह में बेहद सित्त दिखाई दे रहे थे।

शाहरुख खान की मौजूदगी ख़ास तौर पर ध्यान खींचने वाली थी, क्योंकि उन्होंने इवेंट में प्रवेश करते समय पैपराजी से बचने की कोशिश की, जहां कई बॉलीवुड हस्तियों ने



एटिलिया के बाहर फोटोग्राफरों के लिए पोज दिया, वहीं सुपरस्टार ने चुपचाप प्रवेश किया। हालांकि, समारोह से उनकी कुछ झलकियाँ ऑनलाइन सामने आ चुकी हैं।

बप्पा की पूजा से आए वीडियो में शाहरुख खान, नीता अंबानी के बगल में खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि रणवीर सिंह भी आरती करके दिख रहे हैं। रणवीर ने पारंपरिक सफेद कुर्ता-पायजामा के साथ नेहरू जैकेट पहनी थी। शाहरुख खान को देख उनके फैंस खुश हो गए हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई फैंस ने शाहरुख के लिए रेड हार्ट इमोजी पोस्ट किये हैं, एक फैन ने उन्हें एंजल बताया है। कई यूजर्स ऐसे हैं, जिन्होंने कमेंट बॉक्स में हाथ जोड़ने वाले इमा

जी पोस्ट किए हैं। अंबानी परिवार के गणेश चतुर्थी समारोह में सलमान खान, कैटरिना कैफ, विकी कौशल, रणवीर कपूर, आलिया बट्ट, करीना कपूर, सैफ अली खान, जाह्नवी कपूर और अन्य सहित कई बॉलीवुड सितारों ने शिरकत की, जिन्होंने उत्सव में भाग लिया और भगवान गणेश से आशीर्वाद लिया। वहीं, शाहरुख खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो, शाहरुख खान 'किंग' में नजर आएंगे। सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अभिषेक बच्चन, सुहाना खान, अमय वर्मा और रानी मुखर्जी समेत कई अन्य कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। 'किंग' 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

मुंबई में सजेगा 'द पैराडाइज' का प्री-रिलीज जश्न, नानी और राघव जुयाल समेत शामिल होंगे स्टार्स, नोट करें टाइम



'नेचुरल स्टार' नानी स्टारर 'द पैराडाइज' इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। बता दें कि इस फिल्म को श्रीकांत ओडेला द्वारा डायरेक्ट किया गया है, वहीं इससे पहले यह सुपरहिट एक्टर-डायरेक्टर की जोड़ी ब्लॉकबस्टर 'दशहरा' जैसी फिल्म दे चुकी है। मेकर्स ने दर्शकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए पहले ही टीजर और गानों के साथ फिल्म की रिलीज के लिए स्टेज सेट कर दिया है।

फिल्म की रिलीज डेट जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, दर्शकों के बीच उत्सुकता का माहौल देखने मिल रहा है। फिल्म की जबरदस्त कास्ट की बात करें तो इसमें नेचुरल स्टार नानी, राघव जुयाल (विलेन), सोनाली कुलकर्णी और कायबू लोहार का नाम शामिल है। बता दें की यह सभी सितारे मुंबई में होने वाले एक बड़े प्री-रिलीज प्रमोशनल इवेंट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए तैयार हैं। इन सितारों के साथ आने से यह तय है कि फिल्म की रिलीज को इवेंट-गिर्द बना माहौल गर्माने वाला है। रिलीज किये जा चुके टीजर में नानी का अब तक का सबसे इंटेंस और बेबाक अवतार देखने मिला है। बता दें कि इस फिल्म की कहानी

झुग्गी-बस्तियों के बैकड्रॉप पर सेट है, जिसमें नानी ने जदल का किरदार निभाया है, जो एक वेश्या का बेटा है, अपनी दम दूर कहानी के साथ यह फिल्म दर्शकों के सामने न सिर्फ नानी का अलग अवतार बल्कि रॉ इंटेसिटी, मास एनर्जी के साथ-साथ हाई ओकटाइन एक्शन देने का वादा करती नजर आ रही है। दूसरी तरफ द पैराडाइज राघव जुयाल को एक खतरनाक विलेन के रूप में पेश करता है, जो फिल्म की दिलचस्प दुनिया में एक और परत जोड़ता है। इसके अलावा, 'द पैराडाइज' के गाने नए स्टैंडर्ड सेट करने के साथ, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। फिल्म का पहला गाना 'आया शेर' ने यूट्यूब पर 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 1.8 मिलियन से ज्यादा लाइक्स हासिल किए हैं और हजारों इंस्टाग्राम रील्स के साथ यह सोशल मीडिया पर छा गया है। वहीं, दूसरा गाना, 'येशानाग

ला', भी यूट्यूब पर 119 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 700 लाख लाइक्स का आंकड़ा अपने नाम कर चुका है। यह गाने कई चार्ट्स और प्लेटफॉर्म पर बनी हुई हैं और यह सबूत है कि दर्शक फिल्म को लेकर कितने उत्साहित हैं। एसएलवी सिनेमाज के प्रोडक्शन में बनी द पैराडाइज 24 सितंबर 2026 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, अंग्रेजी, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम समेत आठ भाषाओं में बड़े स्तर पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म के ग्लोबल लेवल को देखते हुए मेकर्स ने कथित तौर पर हॉलीवुड स्टार रयान रेनॉल्ड्स से द पैराडाइज को इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रेजेंट करने के लिए संपर्क किया है। शानदार डायरेक्टर, दमदार स्टारकास्ट और ग्लोबल स्केल के साथ द पैराडाइज सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक बड़े कल्चरल फेनोमेनन के रूप में सामने

'महाकाव्य श्री रामायण कथा' ट्रेलर: सीता की प्रतीक्षा बनी रावण का अंत, नए युग के आरंभ के लिए प्रभु राम ने लंकापति के खिलाफ छेड़ी जंग

देहराबाद: 'कथा' बादाम वायरल गल अंजली अरोड़ा इन दिनों सुर्खियों में हैं। वह पौराणिक फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' में माता सीता का किरदार निभा रही हैं। मेकर्स ने आज, 17 सितंबर को फिल्म का ट्रेलर जारी किया है। यह फिल्म 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' का ट्रेलर अपलोड किया और कैप्शन में लिखा, 'अधर्म के आगू, धर्म के नांव कु श्री राम, महाकाव्य श्री रामायण कथा का ट्रेलर आउट, इस फिल्म में देव शर्मा भगवान राम के रूप में, अंजलि अरोड़ा माता सीता के रूप में और रजनीश दुग्गल रावण के रूप में नजर आएंगे। साथ ही, शीत वर्मा लक्ष्मण और निर्मल बाघवा हनुमान की भूमिका निभाएंगे। यह फल्य भगवान राम की यात्रा को बड़े पर्दे पर पेश करती है, जिसके केंद्र में प्रेम, भक्ति, मर्यादा और धर्म जैसे भावुक पहलू हैं। ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर की शुरुआत सीता के अपहरण से होता है। इसके बाद अशोक वाटिका का सीन आता है, जहां रावण सीता को कहता है कि उनका वनवासी राम उन्हें बचाने नहीं आएगा, जिस पर सीता दुःख से कहती है कि प्रभु राम अवश्य आएंगे और उस दिन तुम्हारा



और तुम्हारे इस सोने की लंका का विनाश होगा, जिस पर रावण क्रोध में कहता है, 'असंभव है रावण का विनाश, इसके बाद राम और हनुमान के मिलन, हनुमान का लंका पहुंचना और माता सीता से मिलना, राम सेतु निर्माण, राम का अपनी सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान, रण भूमि समेत कई सीन दिखाए जाते हैं। ट्रेलर के आखिरी में राम और सीता के मिलन की झलक दिखाई जाती है। महाकाव्य

श्री रामायण कथा' का निर्देशन अभिषेक सिंह ने किया है, इसे प्रकाश महाविद्या और संजय बुंदेला ने प्रोड्यूस किया है, हनी कुलदीप अग्रवाल और मोनिका सेन इसके को-प्रोड्यूसर हैं। इसे एजे फिल्म एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के अजय कनौजिया ने पेश किया है। यह फिल्म 26 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

'शक: ट्रस्ट नो वन' में घरे में होगा हर किरदार, परिणीति चोपड़ा बोलीं— किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाएंगे

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपनी अपकमिंग सीरीज 'शक: ट्रस्ट नो वन' को लेकर चर्चा में हैं। सीरीज में वह एक नौ साल के बच्चे की मां का किरदार निभाती नजर आएंगी। खास बात यह है कि इस किरदार को निभाते समय परिणीति खुद मां नहीं बनी थीं। अब मां बनने के बाद परिणीति ने बताया कि उस किरदार को निमाने का उनका अनुभव कैसा था और किस तरह वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ और मदरहुड के बीच संतुलन बना रही हैं।

सवाल: 'शक: ट्रस्ट नो वन' की कहानी नौ साल की बेटी की मां के इर्द-गिर्द घूमती है। इस किरदार को निभाते समय आपके लिए मां बनने



का अनुभव कितना निजी था? जवाब: सबसे पहले, मैं यह साफ कर दूँ कि मुझे नौ साल के बच्चे की मां होने का कोई अनुभव नहीं है। इसलिए, ऐसा नहीं है कि मैंने इस रोल के लिए

अपने निजी अनुभवों का सहारा लिया। जब इस सीरीज की शूटिंग हो रही थी, तब मैं खुद मां नहीं थी। इसलिए, मैंने नौ साल के बच्चे की मां की सोच, भावनाओं या जिंदगी के अनुभवों को निजी तौर पर नहीं जिया था। ऐसे हालात में, एक एक्टर के लिए सबसे जरूरी चीज होती है बेहतरीन राइटिंग। इस सीरीज का

स्क्रीनप्ले बहुत असरदार था। हर सीन के पीछे की भावनाएं, किरदार की सोच और उसके कामों की वजहें स्क्रिप्ट में बहुत साफ तौर पर बताई गई थीं। इसीलिए किरदार को समझने के लिए मुझे अपनी निजी



गुजरात में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' कार्यक्रम का केंद्र बनने के लिए तैयार है, क्योंकि 22 सितंबर को केवड़िया के एकता नगर में 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का आयोजन होने जा रहा है। इस प्रतिष्ठित समारोह के लिए आयोजन स्थल को भव्य रूप दिया गया है, जहां मेहमानों के लिए एक बड़ा पंडाल, एयर-कंडीशंड डोम और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह में पुरस्कार प्रदान करेंगी, जो दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इस बहुप्रतीक्षित समारोह से पहले बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुजरात पहुंच चुके हैं।

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह के लिए पूरे भारत से फिल्म स्टार्स गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर (केवड़िया) पहुंचने लगे हैं। केवड़िया पहुंचने वालों में से कार्तिक आर्यन एक थे। सोशल मीडिया पर कार्तिक का कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का वीडियो सामने आया है। नेशनल लेवल के समारोह में शामिल होने वाले कार्तिक का होटल में पारंपरिक तरीके से रूईस फीचर फिल्मों, नॉन-फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन में उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं। ये अवॉर्ड्स भारत की भाषाओं, क्षेत्रों और सिनेमाई रूपों की फिल्मों और फिल्म निर्माण को शामिल करते हैं।

2024 फिल्म वर्ष के प्रमुख सम्मानों में, 'आर्टिकल 370' को बेस्ट फीचर फिल्म के रूप में चुना गया है, जबकि 'गंगार' ने बेस्ट नॉन-फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है और 'राम-नामी' को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का नाम दिया गया है। ममूटी और कार्तिक आर्यन क्रमशः 'ब्रह्मयुगम' और 'चंदू चौपियन' के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड शेरार करेंगे। वहीं, यामी गौतम को 'आर्टिकल 370' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में चुना गया है। वागत किया गया। ढोल-नगाड़ा, माला, आरती और तिलक लगाकर एक्टर का स्वागत किया गया। एक वीडियो में एक्टर को लोगों के साथ फोटो क्लिक भी कराते हुए देखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को 2024 के लिए भारतीय सिनेमा में उपलब्धियों के लिए अवॉर्ड्स देंगी। दिग्गज कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान और पांच दशकों से अधिक के करियर के लिए 2024 का दादा साहब फाल्के अवॉर्ड मिलेगा। सरकार ने इस महीने की शुरुआत में दादा साहब फाल्के पुरस्कार यवन समिति की सिफारिश पर इस पुरस्कार की घोषणा की थी।

954 में शुरू किए गए नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स फीचर फिल्मों, नॉन-फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन में उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं। ये अवॉर्ड्स भारत की भाषाओं, क्षेत्रों और सिनेमाई रूपों की फिल्मों और फिल्म निर्माण को शामिल करते हैं। 2024 फिल्म वर्ष के प्रमुख सम्मानों में, 'आर्टिकल 370' को बेस्ट फीचर फिल्म के रूप में चुना गया है, जबकि 'गंगार' ने बेस्ट नॉन-फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है और 'राम-नामी' को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का नाम दिया गया है। ममूटी और कार्तिक आर्यन क्रमशः 'ब्रह्मयुगम' और 'चंदू चौपियन' के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड शेरार करेंगे। वहीं, यामी गौतम को 'आर्टिकल 370' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर साव रकर' के लिए डायरेक्टर की बेस्ट डेब्यू फिल्म का अवॉर्डस मिलेगा। ये अवॉर्ड्स कई व्यावसायिक रूप से सफल और समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्मों को भी मान्यता देंगे। कल्कि 2898 'व' ने बेस्ट पॉपुलर फिल्म का खिताब हासिल किया है। जबकि 'अमरन' को निर्देशक राजकुमार पेरियारामी के लिए बेस्ट डायरेक्शन का अवॉर्ड मिला है।

